



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092025-266109  
CG-DL-E-12092025-266109

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947

No. 570]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 614(अ).—निम्नलिखित मसौदा नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 को भेजा जा सकता है;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा।

## अध्याय 1: प्रारंभिक

### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत की गई कार्रवाई के निबंधनों और शर्तों को अधिभूत नहीं करेंगे, जिनमें भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अनुसरण में किए गए लाइसेंस, पंजीकरण या अनुमति चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जारी करना शामिल है, जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसार जारी रहेंगे।

### 2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "एक्सेस सेवा" से अभिप्रेत किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा वायरलाइन या वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए प्रयोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवा से है, और "वायरलाइन एक्सेस सेवा" और "वायरलेस एक्सेस सेवा" शब्दों के रूप में तदनुसार समझा जाएगा;

(ख) "एक्सेस स्पेक्ट्रम" से अभिप्रेत प्रयोक्ता टर्मिनल (यूटी) और बेस स्टेशन के बीच ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए प्राधिकृत इकाई को सौंपा गया स्पेक्ट्रम है;

(ग) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(घ) "प्राधिकरण शुल्क" का तात्पर्य इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की अवधि के लिए दरों और अंतरालों पर किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा देय शुल्क से है;

(ङ) "प्राधिकृत एजेंसी" का तात्पर्य है: (i) संदेशों के अवरोधन के लिए दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अवरोधन हेतु प्रक्रियाएँ और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024 के अंतर्गत परिभाषित प्राधिकृत एजेंसी; या (ii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एजेंसी;

(च) "बेस स्टेशन" का तात्पर्य एक स्थिर रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर स्टेशन से है, जो प्रयोक्ता टर्मिनल और मुख्य दूरसंचार नेटवर्क के बीच एक लिंक प्रदान करता है;

(छ) "प्रसारण सेवाओं" से स्थलीय या सैटेलाइट संचार माध्यम या दोनों के संयोजन के माध्यम से किसी कार्यक्रम का प्रसार अभिप्रेत है, जिसे प्रयोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना है और इसके सभी व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय अभिव्यक्तियों रूप में तदनुसार समझा जाएगा;

(ज) "कॉल" का अर्थ दूरसंचार के माध्यम से स्थापित एक कनेक्शन है जो ध्वनि संचार को सक्षम बनाता है;

(झ) "कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क" या "सीएनपीएन" का अर्थ किसी विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में कैप्टिव उपयोग के लिए स्थापित स्थलीय वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क है, जिसका उपयोग प्रयोक्ताओं को वाणिज्यिक या सार्वजनिक दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सकता है;

(ज) "कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं" का अर्थ इन नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) में सूचीबद्ध दूरसंचार सेवाएँ हैं;

(ट) "मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी" का अर्थ दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के नियम 6 के अंतर्गत नियुक्त मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी है;

(ठ) "कंपनी अधिनियम" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 जैसा भी मामला हो से है;

(ड) "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारक समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से किए जाने वाले प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है:

बशर्ते कि किसी प्राधिकृत इकाई के निदेशक या अधिकारी को केवल ऐसे पद पर आसीन होने के आधार पर प्राधिकृत इकाई पर नियंत्रण रखने वाला नहीं माना जाएगा;

(द) "कोर दूरसंचार नेटवर्क" का अर्थ दूरसंचार उपकरणों की एक प्रणाली या प्रणालियों की शृंखला है जो दूरसंचार नेटवर्क के विभिन्न भागों के बीच दूरसंचार ट्रैफिक के प्रवाह को रूटिंग करने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है और कनेक्टिविटी, रूटिंग, गतिशीलता प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, प्रयोक्ता प्रबंधन, नीति प्रबंधन, दूरसंचार नेटवर्क के एक्सपोज़र प्रबंधन और एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस (एपीआई) की सर्विसिंग सहित कई आवश्यक कार्यों को संभालती है।

(ण) "डोमेस्टिक लीज़्ड सर्किट" का अर्थ राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर एक लीज़्ड सर्किट है;

(त) "गतिशील पृथक्षी स्टेशन" या "ईएसआईएम" का अर्थ सैटेलाइट प्रणाली का एक स्थिर सैटेलाइट सेवा (एफएसएस) प्रयोक्ता टर्मिनल है, जो जहाज, विमान या भूमि वाहन जैसे गतिशील प्लेटफ़ॉर्म पर स्थापित है, गति में या विराम पर और सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, जो अनिवार्य रूप से दूरसंचार सेवा तक एक्सेस प्रदान करता है;

(थ) "प्रभावी तारीख" का अर्थ प्राधिकरण में विनिर्दिष्ट तारीख है जो प्राधिकरण की प्रभावी तारीख है;

(द) "प्रवेश शुल्क" का अर्थ प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण प्रदान करने के लिए भुगतान की जाने वाली शुल्क की गैर-वापसी योग्य राशि से है;

(ध) "अनन्य आर्थिक क्षेत्र" का अर्थ प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मग्नतट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 7 के अंतर्गत चिन्हित क्षेत्र से है;

(न) "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ है धन की अनुपलब्धता के अलावा कोई भी कारण या घटना जिसके कारण ऐसी घटना से प्रभावित होने का दावा करने वाली प्राधिकृत इकाई द्वारा कार्य न कर पाना या कार्य निष्पादन में देरी होना, जो कि:

(i) ऐसी इकाई के उचित नियंत्रण से परे हो, और जिसका पूर्वानुमान ऐसी इकाई द्वारा नहीं लगाया जा सकता था और न ही ऐसी इकाई के कहने पर लाया गया हो या

(ii) जो यदि पूर्वानुमानित होती तो ऐसी इकाई द्वारा टाली नहीं जा सकती थी। "अप्रत्याशित घटनाओं" की उदाहरणात्मक सूची में प्राकृतिक घटनाएँ या आपदाएँ या ईश्वरीय कृत्य, भूकंप, तूफान, बाढ़, आग, विस्फोट, घोषित या अघोषित युद्ध, शत्रुता, आक्रमण, नाकाबंदी, सार्वजनिक शत्रु के कृत्य, तोड़फोड़, दंगे, हड़ताल, विद्रोह, नागरिक अशांति, राज्य का कार्य या वैधानिक प्राधिकरण का निर्देश, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो प्राधिकृत इकाई के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं) शामिल हैं।

(प) "विदेशी प्रत्यक्ष निवेश" या "एफडीआई" का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 के नियम 2 के पैराग्राफ (आर) के तहत परिभाषित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है;

(फ) "प्रपत्र" का अर्थ है केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रपत्र;

(ब) "सैटेलाइट द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार (जीएमपीसीएस) प्रणाली" का अर्थ है कोई भी सैटेलाइट प्रणाली, जो स्थिर या मोबाइल, ब्रॉड-बैंड या नैरो-बैंड, वैश्विक या क्षेत्रीय, भू-स्थिर या गैर-भू-स्थिर, विद्यमान या नियोजित हो और एकल या सैटेलाइट के समूह से अंतिम प्रयोक्ताओं को सीधे दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करती हो और 'जीएमपीसीएस नेटवर्क' और 'जीएमपीसीएस सेवा' वाक्यांश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(भ) "इन-स्पेस" का अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है जो गैर-सरकारी संस्थाओं की अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों को नियंत्रित करती है;

(म) "अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज़्ड सर्किट (आईपीएलसी)" का अर्थ है भारत में एक प्रयोक्ता और भारत के बाहर एक प्रयोक्ता को जोड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय लीज़्ड सर्किट;

(य) "इंटरनेट" एक वैश्विक प्रणाली है जो:

(क) इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) या इसके बाद के संवर्द्धन या उन्नयन के आधार पर एक वैश्विक रूप से विशिष्ट पते द्वारा तार्किक रूप से एक साथ जुड़ी हुई है; और

- (ख) ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/इंटरनेट प्रोटोकॉल (टीसीपी/आईपी) सूट या इसके बाद के संवर्द्धन/उन्नयन और अन्य सभी आईपी संगत प्रोटोकॉल का उपयोग करके संचार को सपोर्ट करने में सक्षम है;
- (कक) "इंटरनेट ऑफ थिंग्स" या "आईओटी" का अर्थ इंटरनेट पर एम2एम संचार है;
- (खख) "लीज़ सर्किट" का अर्थ एक निजी समर्पित सर्किट है जो भौतिक कनेक्शन, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, सर्किट स्विच्च तकनीक, या पैकेट स्विच्च तकनीक का उपयोग करके दो या अधिक स्थानों को जोड़ता है;
- (गग) "आशय पत्र" या "एलओटी" का अर्थ इन नियमों के नियम 9 के उप-नियम (3) के तहत जारी किया गया पत्र है;
- (घघ) "लाइसेंस" का अर्थ भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के प्रावधान के लिए दिया गया लाइसेंस, पंजीकरण या अनुमति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो है और "लाइसेंसधारी" शब्द का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
- (ङङ) "मशीन से मशीन (एम2एम) संचार" दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच एक प्रकार का दूरसंचार है, जिसमें किसी प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है;
- (चच) "मुख्य दूरसंचार सेवाएँ" का अर्थ दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकरण) नियम, 2025 के अंतर्गत चिन्हित गई दूरसंचार सेवाएँ और उनके लिए प्राधिकरण प्रदान करना है;
- (छछ) "विलय नियम" का अर्थ दूरसंचार (प्राधिकृत इकाइयों के पुनर्गठन या अधिग्रहण का विनियमन) नियम, 2025 है;
- (जज) "माइग्रेशन नियम" का अर्थ दूरसंचार (लाइसेंस से प्राधिकरण में माइग्रेशन) नियम, 2025 है;
- (झझ) "विविध दूरसंचार सेवाओं" से तात्पर्य उन दूरसंचार सेवाओं से है जिनको चिन्हित किया गया है और जिनके लिए प्राधिकरण प्रदान करना दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकरण) नियम, 2025 द्वारा शासित है;
- (जब) "पोर्टल" से तात्पर्य इन नियमों के नियम 2 के उप-नियम (3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल से है;
- (टट) "निषिद्ध निवेशक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी में आता है:
- (i) ऐसा व्यक्ति जिसे सेबी द्वारा पूंजी बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है;
  - (ii) ऐसा व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक या उचित समझे;
  - (iii) ऐसा व्यक्ति जिसका प्राधिकरण या लाइसेंस, जैसा भी मामला हो, उसके प्राधिकरण या लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन में चूक के कारण रद्द कर दिया गया हो;
  - (iv) ऐसा व्यक्ति जो चूक या रद्दीकरण के समय खंड (iii) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति के नियंत्रण में था; और
  - (v) ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पहचाना जा सकता है, जिसे किसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, में कोई इक्विटी शेयर रखने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे नियंत्रित करने से प्रतिबंधित किया गया हो;
- (ठठ) "सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क" या "पीएलएमएन" का अर्थ भूमि आधारित सार्वजनिक मोबाइल नेटवर्क है;
- (डड) "सार्वजनिक स्विच्च टेलीफोन नेटवर्क" या "पीएसटीएन" का अर्थ है एक स्थिर सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क जो दो-तरफा स्विच्च दूरसंचार सेवा प्रदान करता है;
- (ढढ) "सैटेलाइट प्रणाली" या "सैटेलाइट नेटवर्क" का अर्थ है एक दूरसंचार नेटवर्क जिसमें सैटेलाइट, प्रणाली नियंत्रण केंद्र, गेटवे, साथ ही संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क और टर्मिनल शामिल हैं जो सैटेलाइट और टर्मिनलों के बीच सीधे संचार चैनल, साथ ही फ़िडर लिंक के माध्यम से भूमि नेटवर्क से कनेक्शन सक्षम करते हैं;
- (णण) "सेवा क्षेत्र" का अर्थ है वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके लिए दूरसंचार सेवा के कैप्टिव उपयोग हेतु प्राधिकरण प्रदान किया जाता है, जो दो प्रकार का हो सकता है:

(क) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र जो अधिनियम की धारा 55 के अनुसार भारत के क्षेत्र, भारत के प्रादेशिक जल और भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र को संदर्भित करता है; और

(ख) दूरसंचार सर्कल या मेट्रो सेवा क्षेत्र जो इन नियमों की अनुसूची ख में सूचीबद्ध सेवा क्षेत्रों को संदर्भित करता है;

(तत) "ग्राहक डेटा रिकॉर्ड" या "एसडीआर" का अर्थ है प्रत्येक प्राधिकृत इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में अनुरक्षित प्रयोक्ता जानकारी का एक व्यापक भंडार;

(थथ) "दूरसंचार साइबर सुरक्षा" का वही अर्थ होगा जो दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 में विनिर्दिष्ट है;

(दद) "ट्राई" का अर्थ है ट्राई अधिनियम के तहत गठित भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण;

(धध) "ट्राई अधिनियम" का अर्थ है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24);

(नन) "प्रयोक्ता टर्मिनल (यूटी)" या "प्रयोक्ता उपकरण (यूई)" का अर्थ है एक प्रकार का दूरसंचार उपकरण जिसका उपयोग प्रयोक्ता द्वारा किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है; और

(पप) "वीसैट" का अर्थ है अति लघु एपर्चर टर्मिनल।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में या मुख्य दूरसंचार सेवा के नियमों में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में या ऐसे नियमों में दिए गए हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार अधिनियम के अधीन नियमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ एक या अधिक पोर्टल स्थापित और अधिसूचित कर सकेगी।

### 3. अनुप्रयोज्यता

ये नियम किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र के भीतर नियम 4 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कैप्टिव दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य रखता हों या प्रदान कर रहा है।

#### अध्याय 2: कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण

##### 4. प्राधिकरणों की श्रेणियाँ

(1) दूरसंचार सेवा प्राधिकरणों को निम्नलिखित चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (क) मुख्य दूरसंचार सेवाएं, (ख) विविध दूरसंचार सेवाएं, (ग) कैप्टिव दूरसंचार सेवा, और (घ) प्रसारण सेवाएं।

(2) कैप्टिव दूरसंचार सेवा प्राधिकरण में निम्नलिखित उप-श्रेणियाँ शामिल होंगी:

(क) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रॅकिंग सेवा (सीएमआरटीएस) प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग क (सीएमआरटीएस प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएँ शामिल होंगी;

(ख) कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग ख (कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएँ शामिल होंगी;

(ग) कैप्टिव वीसैट सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग ग (कैप्टिव वीसैट सेवा प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएँ शामिल होंगी; और

(घ) कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग घ (कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार सेवाएँ शामिल होंगी।

(3) इन नियमों का दायरा कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं से संबंधित है और नीचे दिए गए प्रावधानों में दूरसंचार सेवाओं के संदर्भ का अर्थ कैप्टिव दूरसंचार सेवाएं होगा।

## 5. प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र

कैप्टिव दूरसंचार सेवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

- (क) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रॉकिंग सेवा (सीएमआरटीएस) के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होगा, जैसा कि प्राधिकरण में निर्दिष्ट है;
- (ख) कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होगा, जैसा कि प्राधिकरण में निर्दिष्ट है;
- (ग) कैप्टिव वीसैट सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र होगा; और
- (घ) कैप्टिव सामान्य सेवा के लिए प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होगा, जैसा कि प्राधिकरण में निर्दिष्ट है।

## 6. प्राधिकरण की अवधि

- (1) कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण की आरंभिक वैधता की अवधि प्रभावी तिथि से बीस वर्ष होगी, जब तक कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट कारणों से उसे पहले ही कम या रद्द न कर दिया जाए।
- (2) प्राधिकरण की अवधि नियम 16 के अधीन प्रावधान के अनुसार नवीकृत की जा सकेगी।

## 7. प्राधिकरण प्रदान करने के लिए पात्रता के मानदंड

- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण चाहने वाला आवेदक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनी, या केंद्रीय या राज्य सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग, भारत की संसद, भारत के किसी राज्य की विधान सभा, कोई न्यायालय, या केंद्र या राज्य सरकार की कोई एजेंसी या स्वायत्त संगठन होगा।
  - (2) किसी भी आवेदक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियम 8 के अंतर्गत प्राधिकरण के लिए आवेदन करते समय लागू भारत के कानूनों और नीतियों के अनुरूप होगा:
- वशर्ते कि आवेदक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेशक भी लागू भारत के कानूनों और नीतियों के अनुरूप होंगे।
- (3) आवेदक के पास किसी निषिद्ध निवेशक से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश या किसी निषिद्ध निवेशक का नियंत्रण नहीं होगा।
  - (4) यदि आवेदक कोई ऐसी इकाई है जिसके पास भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत लाइसेंस था और वह लाइसेंस समाप्त, निरस्त या अभ्यर्पित हो गया है, तो ऐसे आवेदक को, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सभी राशियों का भुगतान करना होगा, जो पहले समाप्त, निरस्त या अभ्यर्पित लाइसेंस के अंतर्गत देय थीं, जिसमें ऐसे आवेदक द्वारा धारित प्रासंगिक लाइसेंस के अंतर्गत विलंबित भुगतान के लिए निर्धारित दर के आधार पर परिकलित लागू ब्याज भी शामिल है।
  - (5) यदि आवेदक कोई ऐसी इकाई है जिसे अधिनियम के अंतर्गत कोई प्राधिकरण प्रदान किया गया था और निम्नलिखित परिस्थितियाँ लागू होती हैं:

- (क) उसने ऐसा प्राधिकरण अभ्यर्पित कर दिया था, लेकिन नियम 22 के अंतर्गत उसके संबंध में देय राशि बकाया है;
  - (ख) वह नियम 19 के अंतर्गत निरसन के अधीन थी और उसके न्यायनिर्णय के बाद इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रही है, लेकिन ऐसी अवधि के दौरान जब वह प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती थी, लेकिन उसके संबंध में देय राशि बकाया है; या
  - (ग) समय बीत जाने के कारण उसका प्राधिकरण समाप्त हो गया है और उसके पास देय बकाया राशि है;
- तो ऐसा आवेदक इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण के लिए आवेदन करने हेतु पात्र माने जाने के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सभी राशियों का भुगतान करेगा।

## 8. प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन

(1) दूरसंचार सेवाओं के कैप्टिव उपयोग हेतु दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने, अनुरक्षण करने या विस्तार करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर इस प्रयोजन के लिए, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से आवेदन प्रस्तुत करेगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज़ भी संलग्न करेगा।

(2) यदि इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण के लिए आवेदक एक विद्यमान लाइसेंसधारी है, तो उसे प्राधिकरण के लिए अपने आवेदन के साथ:

(क) सभी श्रेणियों की दूरसंचार सेवाओं के लिए अपने सभी विद्यमान लाइसेंसों को, स्थानांतरण नियमों के अनुसार, दूरसंचार सेवा के लिए संगत प्राधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करना होगा और ऐसे आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा; या

(ख) यदि ऐसा आवेदन पहले ही किया जा चुका है, तो स्थानांतरण के लिए अपने आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा:

बशर्ते कि यह उप-नियम, उप-नियम (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्थितियों के संबंध में लागू नहीं होगा।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन के साथ इन नियमों की अनुसूची क में निर्धारित अप्रतिदेय प्रसंस्करण शुल्क संलग्न होगा।

(4) इन नियमों के अंतर्गत कोई आवेदक विभिन्न सेवा क्षेत्रों में एक या अधिक प्राधिकरणों के लिए एक साथ आवेदन कर सकता है।

(5) किसी प्राधिकृत इकाई को एक ही सेवा क्षेत्र में किसी विशिष्ट दूरसंचार सेवा के लिए एक से अधिक प्राधिकरण रखने की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि यदि कोई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी, जो किसी सेवा क्षेत्र में प्राधिकरण या लाइसेंस रखता हो, जैसा भी मामला हो, किसी दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है या विलय नियमों के अनुसार किसी दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकरण प्राप्त करता है, जिसके दायरे और सेवा क्षेत्र में वह दायरा और सेवा क्षेत्र शामिल है जिसके लिए उसके पास पहले से ही प्राधिकरण या लाइसेंस है, तो ऐसा विद्यमान प्राधिकरण या लाइसेंस विलय नियमों के अनुसार उसके अनुदान या अधिग्रहण या पुनर्गठन पर नए प्राधिकरण में समाहित माना जाएगा, और इस प्रकार समाहित प्राधिकरण या लाइसेंस रद्द माना जाएगा।

बशर्ते कि, पूर्व प्राधिकरण या लाइसेंस का समावेशन और निरस्तीकरण:

(क) ऐसे पूर्व प्राधिकरण या लाइसेंस के अंतर्गत उपगत किसी भी बकाया, दंड, देनदारियों या दायित्वों का, जैसा भी मामला हो, उन्मूलन या अधित्याग नहीं करेगा, और

(ख) ऐसे बकाया, दंड, देनदारियों या दायित्वों को नए प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और उन्हें नए प्राधिकरण के अंतर्गत आगे ले जाया गया माना जाएगा और वे ऐसी इकाई द्वारा देय और केंद्रीय सरकार द्वारा वसूली योग्य बने रहेंगे।

## 9. प्राधिकरण प्रदान करना

(1) नियम 8 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन की जाँच करने पर केंद्रीय सरकार आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज़ मांग सकती है।

(2) केंद्रीय सरकार, कैप्टिव वीसैट सेवा प्राधिकरण के लिए आवेदनों के संबंध में, यदि वह आवश्यक समझे, तो प्राधिकरण प्रदान करने से पहले, सेटलाइट नेटवर्क मंजूरी के लिए उत्तरदायी उपयुक्त प्राधिकारी के माध्यम से सुरक्षा जाँच करवा सकती है।

(3) यदि कोई आवेदक प्राधिकरण प्रदान करने के लिए पात्र पाया जाता है, तो पोर्टल के माध्यम से आवेदक को आशय पत्र जारी किया जाएगा:

बशर्ते कि उप-नियम (6) के अनुसार, कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) और कैप्टिव सामान्य सेवा के लिए प्राधिकरण, पात्र आवेदकों को बिना किसी पूर्व आशय पत्र जारी किए प्रदान किए जाएंगे।

(4) वह आवेदक जिसे उप-नियम (3) के अनुसार आशय पत्र जारी किया गया है, आशय पत्र में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का उसमें निर्दिष्ट समयावधि के भीतर पालन करेगा, जिसमें अनुसूची-क में ऐसे प्राधिकरण के लिए निर्दिष्ट प्रवेश शुल्क का भुगतान, और पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से, अनुसूची-क में ऐसे प्राधिकरण के लिए विनिर्दिष्ट राशि की प्रारंभिक गारंटी, निम्नलिखित में से किसी एक की प्रस्तुति शामिल है:

- (क) किसी भी अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से बैंक गारंटी,
- (ख) बीमा कंपनी द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किया गया बीमा ज़मानत बॉन्ड, जिसकी न्यूनतम वैधता अवधि एक वर्ष हो, या
- (ग) केंद्रीय सरकार के पास व्याज रहित सुरक्षा जमा;

और पोर्टल पर इसका प्रमाण प्रस्तुत करें:

बशर्ते कि:

- (क) पुलिस, अग्निशमन या राजकीय सुरक्षा सेवा सहित सेवाओं के लिए सीएमआरटीएस प्राधिकरण चाहने वाले आवेदक; या
- (ख) कैप्टिव वीसैट प्राधिकरण की मांग करने वाला केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग को उप-नियम (4) के अंतर्गत किसी भी गारंटी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट प्राप्त होगी।

(5) यदि आशय पत्र में निर्धारित आवश्यकताएं आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी नहीं की जाती हैं, तो ऐसा पत्र समाप्त माना जाएगा, और प्राधिकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार, आशय पत्र में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति से पहले आवेदक द्वारा किए गए समय विस्तार के अनुरोध पर विचार करने के आधार पर, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से, आशय पत्र में विनिर्दिष्ट तिथि से तीस दिनों तक की अवधि के लिए एक बार विस्तार प्रदान कर सकती है।

(6) आवेदक द्वारा आशय पत्र के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किए जाने पर, या उप-नियम (3) के परंतुक में निर्दिष्ट प्राधिकरण के संबंध में, पोर्टल पर एक अद्वितीय प्राधिकरण संख्या बनाई जाएगी और आवेदक को इन नियमों की अनुसूची खं में विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण प्रदान किया जाएगा।

(7) प्राधिकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पर आवेदक द्वारा दिए गए विवरणों, कथनों, अभ्यावेदनों और प्रस्तुतियों तथा इस प्रकार उपलब्ध कराए गए सहायक दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी भी समय ऐसी सूचना गलत पाई जाती है, तो नियम 19 के प्रावधान लागू होंगे।

(8) केंद्रीय सरकार, जहां तक युक्तिसंगत रूप से व्यावहारिक हो, नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर आवेदक द्वारा उप-नियम (1) के अंतर्गत अपेक्षित स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के साठ दिन की अवधि के भीतर या उप-नियम (2) के अंतर्गत सुरक्षा जांच के साठ दिन की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, निर्णय लेने का प्रयास करेगी:

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने के किसी निर्णय, उपनियम (5) के परिणामस्वरूप अस्वीकृति को छोड़कर, के साथ लिखित में कारण दिए जाएंगे।

(9) किसी भी आवेदक को, जिसे इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व भारतीय तार अधिनियम 1885 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, आवेदक द्वारा स्वीकृति के अधीन, अधिनियम के अंतर्गत तत्संबंधी प्राधिकरण प्रदान करने पर विचार किया जाएगा, और ऐसे मामलों में, प्रसंस्करण शुल्क और प्रवेश शुल्क, यदि पहले ही भुगतान किया जा चुका है, तो उसे ऐसे प्राधिकरण प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण शुल्क और प्रवेश शुल्क में समायोजित किया जाएगा:

बशर्ते कि आवेदक को अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्रदान करने के संबंध में, यदि आवश्यक हो, तो प्रवेश शुल्क के अंतर का भुगतान भी करना होगा।

## 10. गैर-अनन्य प्राधिकरण

इन नियमों के अनुसरण में प्रदान किया गया प्रत्येक प्राधिकरण गैर-अनन्य आधार पर होगा और समान या भिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए समान या भिन्न नियमों और शर्तों के साथ अतिरिक्त प्राधिकरण, प्राधिकृत इकाइयों की संख्या पर किसी प्रतिबंध के बिना, उसी या अन्य सेवा क्षेत्रों के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया जा सकता है:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार स्वयं या किसी सार्वजनिक संस्था के माध्यम से भारत में कहीं भी दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर सकेगी।

### अध्याय 3: सामान्य शर्तें

## 11. अधिनियम का अनुपालन

(1) प्राधिकृत इकाई अधिनियम और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगी, जिसमें अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी सभी अधिसूचनाएं, आदेश, निदेश या दिशानिर्देश शामिल हैं, जिन्हें अधिनियम के तहत जारी प्रत्येक प्राधिकरण में शामिल माना जाएगा।

(2) प्राधिकृत इकाई को इन नियमों को प्रभावी करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन करना होगा, जो इन नियमों से असंगत न हों।

## 12. ट्राई अधिनियम का अनुपालन

प्राधिकृत इकाई ट्राई अधिनियम के प्रावधानों से बंधी होगी, तथा इसके किसी भी गैर-अनुपालन को ट्राई अधिनियम के अंतर्गत संबोधित किया जाएगा।

## 13. पात्रता शर्तों का निरंतर अनुपालन

(1) प्राधिकृत इकाई के साथ-साथ उसके निवेशकों को प्राधिकरण की अवधि के दौरान हर समय विदेशी निवेश से संबंधित कानूनों सहित भारत के सभी लागू कानूनों और नीतियों का अनुपालन करना जारी रखना होगा।

(2) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण की अवधि के दौरान किसी भी प्रतिबंधित निवेशक का ऐसी इकाई में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश या नियंत्रण न हो।

## 14. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण दायित्व

(1) प्राधिकृत इकाई:

(क) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, शेयरधारिता में ऐसे परिवर्तन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अपनी शेयरधारिता में किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट करेगी और लागू कानूनों के तहत प्रासंगिक अनुमति प्राप्त करने सहित किसी भी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगी;

(ख) कंपनी अधिनियम के तहत जिस नाम से इसे शामिल किया गया है, उसमें किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर करेगी;

(ग) स्वामित्व, नियंत्रण, पता और संपर्क विवरण, या किसी अन्य ऐसे भौतिक विवरण से संबंधित विवरण में कोई भी परिवर्तन, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करना होगा।

(घ) केंद्रीय सरकार को, मांगे जाने पर, ऐसे दस्तावेज, खाते, अनुमान, रिटर्न, रिपोर्ट या अन्य जानकारी निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से उपलब्ध करायेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से केंद्रीय सरकार और संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को एक नोडल व्यक्ति का विवरण नामित करेगी और संप्रेषित करेगी, जो इन नियमों के तहत अपेक्षित कोई रिपोर्ट या सूचना प्रदान करने या आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

## 15. प्राधिकरण के हस्तांतरण पर प्रतिबंध

(1) प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित कार्य नहीं करेगी:

- (क) केंद्रीय सरकार की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी भी तरीके से, अपना प्राधिकरण सौंपना या हस्तांतरित करना;
- (ख) उप-पट्टे या उप-प्राधिकरण के लिए कोई साझेदारी या करार करना; और
- (ग) ऐसे प्राधिकरण में किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई हित सृजित करना।

(2) विलयन नियमों के अनुसार प्राधिकृत इकाई के पुनर्गठन या अधिग्रहण के फलस्वरूप ही प्राधिकरण सौंपा या हस्तांतरित किया जा सकता है।

## 16. प्राधिकरण का नवीकरण

(1) प्राधिकृत इकाई, इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, प्राधिकरण की समाप्ति से कम से कम बारह महीने पहले, इन नियमों की अनुसूची के में विनिर्दिष्ट नवीकरण के लिए प्रसंस्करण शुल्क के साथ, प्राधिकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है:

बशर्ते कि नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण की समाप्ति से चार महीने पहले तक प्रस्तुत किया जा सकेगा, बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विलम्ब शुल्क का भुगतान किया जाए।

(2) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, बीस वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकरण की अवधि के नवीकरण पर विचार करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे नियमों और शर्तों के साथ-साथ ऐसे नवीकरण के समय लागू कानून और नीति के अनुपालन के अधीन होगा:

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने के किसी भी निर्णय के साथ लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारण भी शामिल होंगे।

(3) जहां उप-नियम (2) के अनुसार आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, या उप-नियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्राधिकरण के नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा प्राधिकरण मौजूदा प्राधिकरण की वैधता अवधि के अंत में समाप्त हो जाएगा।

## 17. स्पेक्ट्रम का आवंटन और उपयोग

(1) अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्रदान करने से स्पेक्ट्रम के आवंटन और उपयोग का कोई अधिकार नहीं मिलता है।

(2) प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अंतर्गत स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए आवेदन कर सकती है।

(3) जहां प्राधिकृत इकाई स्पेक्ट्रम रखती है, या प्रासंगिक नियमों के तहत स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट के लिए आवेदन करती है, ऐसे असाइनमेंट की शर्तों और नियमों को प्राधिकरण की शर्तों और नियमों में शामिल माना जाएगा, और प्राधिकृत इकाई असाइनमेंट की शर्तों और नियमों के साथ-साथ प्राधिकरण की शर्तों और नियमों के अनुरूप कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करेगी।

## 18. अप्रत्याशित घटना

(1) यदि प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकरण के तहत किसी दायित्व का निष्पादन किसी अप्रत्याशित घटना के कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से रोका जाता है या विलंबित होता है, और ऐसी इकाई ने उप-नियम (2) के तहत अपने अधिसूचना

दायित्वों का अनुपालन किया है, तो केंद्रीय सरकार ऐसी घटना की अवधि के लिए ऐसे गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में न तो प्राधिकरण को रद्द करेगी, न ही ऐसी प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध किसी क्षतिपूर्ति का दावा करेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना, ऐसी घटना के घटित होने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर, केंद्रीय सरकार को देगी।

(3) कोई भी प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की अवधि बढ़ाने, या अप्रत्याशित घटना के लिए किसी मुआवजे का दावा करने, या अप्रत्याशित घटना के कारण केंद्रीय सरकार के दायित्वों के निष्पादन में देरी या गैर-निष्पादन के लिए केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने की हकदार नहीं होगी।

## 19. प्राधिकृत इकाई द्वारा चूक

(1) प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन का न्यायनिर्णयन और अपील दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 द्वारा शासित होगी।

(2) किसी प्राधिकरण के निलंबन, निरसन या कटौती का कोई भी आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आदेश की तारीख से इकतीसवें दिन से प्रभावी होगा।

(3) प्राधिकृत इकाई, जिसका प्राधिकरण रद्द कर दिया गया है, तथा उसके प्रवर्तक, एक अवधि के लिए अधिनियम के अंतर्गत किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तथा यह अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

## 20. सेट ऑफ

(1) प्राधिकरण या समनुदेशन की शर्तों के तहत, प्राधिकृत इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार को देय किसी धनराशि या दावे को, केंद्रीय सरकार द्वारा उस समय देय किसी धनराशि या राशि से काटा या समायोजित किया जा सकता है, या जो उसके बाद किसी भी समय प्राधिकरण या समनुदेशन के तहत प्राधिकृत इकाई को देय हो सकती है, जिसमें कोई गारंटी भी शामिल है, जिसे धन में परिवर्तित किया जा सकता है।

(2) केंद्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन की गई किसी कार्रवाई के पश्चात् ऐसे सेट-ऑफ के बारे में प्राधिकृत इकाई को सूचित करेगी।

## 21. बकाया राशि की वसूली

वसूली के अन्य तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार को देय राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

## 22. प्राधिकरण का अभ्यर्पण

(1) इन नियमों के तहत प्रदान किए गए प्राधिकरण के अभ्यर्पण की इच्छुक प्राधिकृत इकाई को, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, प्रस्तावित अभ्यर्पण की तिथि से कम से कम तीस दिन पहले आवेदन प्रस्तुत करना होगा, साथ ही पोर्टल पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वचनबद्धता और अन्य सूचना भी देनी होगी।

(2) केंद्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन आवेदन को ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर स्वीकार या अस्वीकार करेगी, और यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो अभ्यर्पण की प्रभावी तिथि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से इकतीसवां दिन होगी।

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने संबंधी किसी भी निर्णय के साथ लिखित में कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) यदि उपनियम (1) के अधीन आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर न तो स्वीकार किया जाता है और न ही अस्वीकार किया जाता है, तो ऐसा आवेदन स्वीकार किया हुआ समझा जाएगा।

(4) प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकरण के अभ्यर्पण से संबंधित विवरण केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) इस नियम के तहत अपना प्राधिकरण का अभ्यर्पण करने वाली प्राधिकृत इकाई, प्राधिकरण शुल्क सहित, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अभ्यर्पण की प्रभावी तिथि तक देय सभी देय राशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी।

### 23. राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित के आधार पर निलंबन या निरसन

(1) इन नियमों के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, केंद्रीय सरकार किसी भी समय, बिना किसी नोटिस अवधि के, पूर्णतः या आंशिक रूप से, प्राधिकरण के प्रचालन को निलंबित या रद्द कर सकती है, यदि केंद्रीय सरकार की राय में, सार्वजनिक हित में या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या दूरसंचार के उचित संचालन के लिए या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में या युद्ध या कम तीव्रता वाले संघर्ष या अन्य समान परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार ऐसी कार्रवाइयों से उत्पन्न किसी धृति या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(2) प्राधिकृत इकाई को निलंबन या निरसन के लिए ऐसे निदेशों के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी उपाय का अनुपालन करना होगा।

### 24. प्राधिकरण के निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति के अनुसरण में की जाने वाली कार्रवाइयाँ

(1) प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकरण के निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति पर, ऐसी इकाई को आवंटित स्पेक्ट्रम, यदि कोई हो, ऐसे निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति की प्रभावी तिथि से वापस ले लिया जाएगा।

(2) प्राधिकरण के निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति पर, संबंधित प्राधिकृत इकाई अपने रेडियो उपकरणों का प्रबंधन दूरसंचार (रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकरण) नियम, 2025 के तहत निर्धारित तरीके से करेगी।

### अध्याय 4: तकनीकी और प्रचालन शर्तें

#### 25. दूरसंचार नेटवर्क

(1) कैप्टिव दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार कर सकती है और प्राधिकरण के दायरे के अनुरूप रेडियो उपकरण भी रख सकती है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के तहत क्रमशः किसी अलग प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी:

बशर्ते कि स्पेक्ट्रम के आवंटन और उपयोग के अधिकार के संबंध में इन नियमों का नियम 17 लागू होगा।

(2) प्राधिकृत इकाई अधिनियम और उसके तहत नियमों के अनुसार अपने प्राधिकरण के अनुसार दूरसंचार सेवाओं के कैप्टिव उपयोग के लिए दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाएं अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचित मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों सहित लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप हैं।

(3) प्राधिकृत इकाई दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के सभी तकनीकी विवरण, जिसमें प्रौद्योगिकी का विवरण भी शामिल है, केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को, ऐसे तरीके से और ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगी जैसा कि इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश के अनुसरण में अपेक्षित होगी।

(4) प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के संबंध में अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगी और आवश्यक अवसंरचना, दूरसंचार उपकरणों और प्रणालियों तथा अपने दूरसंचार नेटवर्क के सभी पहलुओं की स्थापना, रखरखाव, प्रचालन, विस्तार और चालू करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी:

बशर्ते कि, प्राधिकृत इकाई, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्रासंगिक प्राधिकरण रखने वाली अन्य प्राधिकृत इकाईयों से पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर, जैसा भी मामला हो, दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार अवसंरचना या दूरसंचार संसाधनों को ले सकती है;

बशर्ते कि, आरओडब्ल्यू की अनुपलब्धता या प्राधिकृत इकाई द्वारा आरओडब्ल्यू की अनुमति प्राप्त करने में देरी, रोल-आउट दायित्वों की पूर्ति न करने या इन नियमों के तहत किसी अन्य दायित्वों के गैर-अनुपालन का कारण या आधार नहीं होगी।

(5) प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी लागू अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी:

- (क) दूरसंचार नेटवर्क को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (आरईटी) को अपनाना;
- (ख) ऊर्जा कुशल दूरसंचार उपकरणों की तैनाती;
- (ग) स्वदेशी रूप से निर्मित दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए अधिमान्य बाजार पहुंच (पीएमए); और
- (घ) आईपीवी6 कार्यान्वयन.

## 26. दूरसंचार नेटवर्क एलीमेंट्स का स्थान

(1) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रों में दूरसंचार उपकरण की स्थापना या दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना केवल पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से किए गए आवेदन के अनुसरण में प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राप्त केंद्रीय सरकार की पूर्व लिखित स्वीकृति से ही की जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार भारत के राज्यक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा, भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य क्षेत्र के निकट आने वाले क्षेत्रों में कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क की सभी प्रणालियाँ उसके प्राधिकृत सेवा क्षेत्र के भीतर स्थित हों।

(4) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं से संबंधित सभी डेटा और सूचना भारत में ही संग्रहीत की जाएगी।

## 27. दूरसंचार नेटवर्क और अवसंरचना का साझाकरण

इन नियमों के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरण प्राप्त प्राधिकृत इकाई, ऐसे प्राधिकरणों के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के कैप्टिव उपयोग के लिए अपनी दूरसंचार अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण या अपने कैप्टिव दूरसंचार नेटवर्क की किसी अन्य प्रणाली को साझा कर सकती है।

## 28. दूरसंचार सेवाओं का प्रारंभ

प्राधिकृत इकाई, दूरसंचार सेवा के प्रावधान के प्रारंभ होने की तारीख के बारे में, प्रारंभ होने के पंद्रह दिनों के भीतर, केंद्रीय सरकार और ट्राई को सूचित करेगी।

## 29. निरीक्षण और मूल्यांकन करने का अधिकार

(1) केंद्रीय सरकार, इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के प्रयोजनार्थ, इस संबंध में किसी प्राधिकृत इकाई को उचित नोटिस जारी करने के पश्चातः:

- (क) उन स्थलों तक पहुंच और निरीक्षण करना जहां दूरसंचार उपकरण और दूरसंचार नेटवर्क स्थापित हैं;
- (ख) इन नियमों के अनुपालन के लिए प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं या प्रणालियां:

बशर्ते कि, यदि केंद्रीय सरकार समझती है कि लोकहित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक या समीचीन है, तो प्राधिकृत इकाई को कोई नोटिस प्रदान करना अपेक्षित नहीं होगा;

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार इन नियमों के अनुपालन के लिए प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं या प्रणालियों की लेखापरीक्षा करने के लिए बाह्य एजेंसी नियुक्त कर सकती है।

(2) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) के तहत अपेक्षित लेखापरीक्षा और निरीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगी।

## अध्याय 5: सुरक्षा शर्तें

### 30. प्राधिकृत इकाई का प्रबंधन

(1) प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

- (क) ऐसी प्राधिकृत इकाई के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे;
- (ख) दूरसंचार नेटवर्क और सिस्टम प्रशासकों के प्रभारी मुख्य अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होंगे;
- (ग) दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के अनुरूप मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी एक निवासी भारतीय नागरिक होगा।

(2) किसी भी विदेशी नागरिक को अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पदों पर नियुक्त करने से पहले, प्राधिकृत इकाई को गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा जांच सुनिश्चित करनी होगी, तथा ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए ऐसी सुरक्षा जांच वार्षिक आधार पर जारी रहेगी।

(3) किसी प्राधिकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए विदेशी नागरिकों की तैनाती से पहले गृह मंत्रालय द्वारा उनकी सुरक्षा जांच सुनिश्चित करनी होगी।

(4) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) और उप-नियम (3) में प्रदान की गई सुरक्षा जांच के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से आवेदन करेगी, और गृह मंत्रालय का निर्णय ऐसी प्राधिकृत इकाई पर बाध्यकारी होगा।

### 31. अभिलेखों का रखरखाव

प्राधिकृत इकाई सभी वाणिज्यिक रिकॉर्ड, सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड (एसडीआर), किसी भी नाम से संदर्भित कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर), कॉल डिटेल रिकॉर्ड सहित, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड (ईडीआर), आईपी डिटेल रिकॉर्ड या आईपी डेटा रिकॉर्ड (आईपीडीआर) और सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए किसी भी अन्य समान रिकॉर्ड को बनाए रखेगी और प्रदान करेगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

### 32. दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से लेन-देन की गई सूचना को सुरक्षित करना

(1) प्राधिकृत इकाई को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समय पर उपाय करने होंगे कि दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित सूचना और संदेश सुरक्षित और संरक्षित हों।

(2) प्राधिकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित संदेशों की गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी तथा संदेशों का अनधिकृत अवरोधन नहीं होना चाहिए।

### 33. अनधिकृत या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग की रोकथाम

प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत कैप्टिव दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग किसी भी ऐसी गतिविधि को करने या किसी भी कार्रवाई को शुरू करने के लिए नहीं किया जाता है, जो अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, 2023 या राज्य के खिलाफ अपराधों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों सहित वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत अपराध है।

### 34. विश्वसनीय स्रोत और विश्वसनीय उत्पाद

(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिनामित प्राधिकारी केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक होगा, जो दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों का निर्धारण करेगा, जिनके लिए विश्वसनीय स्रोतों से संबंधित सुरक्षा आवश्यकताएं लागू होती हैं, और इस प्रयोजन के लिए अपनी वेबसाइट पर उन्हें विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) अभिनामित प्राधिकारी उप-नियम (1) के तहत विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों के लिए संबद्ध विश्वसनीय उत्पादों के साथ-साथ विश्वसनीय स्रोतों को विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) अभिनामित प्राधिकारी विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार उपकरणों को शामिल करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(4) अभिनामित प्राधिकारी उन व्यक्तियों की सूची भी विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनसे दूरसंचार उपकरण या संबद्ध उत्पादों की खरीद नहीं की जा सकती।

(5) प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) के तहत अभिनामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विश्वसनीय स्रोतों से विश्वसनीय उत्पादों की खरीद करेगी, और अपने दूरसंचार नेटवर्क में केवल ऐसे उत्पादों का उपयोग करेगी या जोड़ेगी।

(6) प्राधिकृत इकाई को, अपने दूरसंचार नेटवर्क को शुरू करने से पहले, इस प्रयोजन के लिए अभिनामित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करना होगा, तथा दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपकरण से संबंधित प्रासंगिक विवरण प्रदान करना होगा, जैसा कि ऐसे प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो सकता है।

(7) दूरसंचार नेटवर्क में तैनाती से पहले, प्राधिकृत इकाई को दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों या उनकी श्रेणियों की खरीद के लिए अभिनामित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(8) प्राधिकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटवर्क या उसके किसी उन्नयन या विस्तार के लिए दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों, या उसकी श्रेणियों की खरीद से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

(क) यदि अभिनामित प्राधिकारी ने उप-नियम (2) के अंतर्गत दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों को विश्वसनीय उत्पाद और उनके संगत विश्वसनीय स्रोत के रूप में पहले ही निर्धारित कर लिया है, तो प्राधिकृत इकाई इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी और अभिनामित प्राधिकारी तथा केंद्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से प्रस्तुत करेगी: (i) दूरसंचार उपकरण और उन स्रोतों की सूची जिनसे वह खरीद करने की योजना बना रही है; और (ii) दूरसंचार उपकरण, संबंधित उत्पादों और उनके स्रोतों की खरीद की आवधिक रिपोर्ट, तथा उनकी तैनाती के स्थान;

(ख) यदि खंड (क) लागू नहीं होता है, तो प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (3) के तहत इस प्रयोजन के लिए अभिनामित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों तथा उनके स्रोतों का विवरण, जहां से वह उन्हें प्राप्त करने का इरादा रखती है, अभिनामित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी;

(ग) यदि अभिनामित प्राधिकारी उपर्युक्त खंड (ख) के अंतर्गत प्रस्तुत दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों तथा उनके स्रोतों को अनुमोदित कर देता है, तो प्राधिकृत इकाई उन्हें खरीदने और स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगी; और

(घ) प्राधिकृत इकाई को अधिसूचनाओं, आदेशों, निदेशों या दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा, जिसमें दूरसंचार नेटवर्क के संबंधित पर्यवेक्षण और प्रभावी नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन शामिल है, जैसा कि अभिनामित प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है।

(9) प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क में लगाए गए या लगाए जा रहे दूरसंचार उपकरणों से संबंधित कोई भी सूचना, जब भी केंद्रीय सरकार या अभिनामित प्राधिकारी द्वारा मांगी जाए, उपलब्ध कराएगी।

(10) प्राधिकृत इकाई प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को इस नियम के अनुपालन से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अर्ध-वार्षिक आधार पर, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को प्रस्तुत करेगी।

(11) ये नियम केंद्रीय सरकार द्वारा उठाए गए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे, जिसे वह अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, जो प्राधिकृत इकाईयों पर बाध्यकारी होगा।

(12) लाइसेंसधारक के संबंध में, यह नियम उसके लाइसेंस के अंतर्गत विश्वसनीय स्रोतों से विश्वसनीय उत्पादों की खरीद से संबंधित दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और न ही उसे रद्द करेगा, जो तब तक लागू रहेगा जब तक लाइसेंस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के तहत नियमों के तहत प्राधिकरण में स्थानांतरित नहीं हो जाता है:

बशर्ते कि, प्राधिकृत इकाई बनने के लिए इस तरह का स्थानांतरण चालू वार्षिक रखरखाव अनुबंधों (एएमसी) या दूरसंचार उपकरणों के उनके अद्यतन को प्रभावित नहीं करेगा, जो दिनांक 15 जून 2021 से पहले ही इसके दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं;

बशर्ते कि लाइसेंसधारक, अपने लाइसेंस को प्राधिकरण में स्थानांतरित करने पर, दिनांक 15 जून 2021 से पहले स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के उन्नयन या विस्तार के लिए अभिनामित प्राधिकारी से अनुमति लेगा, जिसमें विश्वसनीय उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए दूरसंचार उपकरण का उपयोग किया जाएगा।

### 35. कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध

(1) इन नियमों के अंतर्गत किसी प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग निम्नलिखित के प्रसारण के लिए नहीं किया जाएगा:

- (क) लागू कानून के अनुसार आपत्तिजनक या अक्षील या अनधिकृत संदेश; या
- (ख) किसी भी रूप में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करने वाली कोई अन्य सामग्री या संचार या संदेश।

(2) केंद्रीय सरकार से कोई रिपोर्ट, सूचना, आदेश या निदेश या न्यायालय आदेश प्राप्त होने पर प्राधिकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटवर्क में उपनियम (1) के उल्लंघन में सामग्री या संचार या संदेश के प्रसारण को रोकने के लिए तुरंत आवश्यक उपाय करने होंगे।

(3) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसका दूरसंचार नेटवर्क या उसकी स्थापना सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं बनेगी तथा किसी कानून और नीति का उल्लंघन नहीं करेगी।

### 36. सामान्य सुरक्षा शर्तें

(1) एक प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों का पालन करेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई जासूसी, विद्वंसक कृत्यों, तोड़फोड़ या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि की किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए केंद्रीय सरकार को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी, और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(3) प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने की क्षमता सुनिश्चित करेगी।

(4) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र को परिभाषित करने के प्रयोजन से किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा ली गई भौगोलिक सीमाओं का सटीक चित्रण, यदि कोई हो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों में दर्शाई गई सीमाओं के अनुरूप होगा, तथा उसमें कोई भी संशोधन इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के विशिष्ट पूर्व लिखित अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

### अध्याय 6: दूरसंचार सेवाओं के प्रकारों के लिए विशिष्ट शर्तें

#### 37. अध्याय 6 की अनुप्रयोज्यता

(1) अध्याय 1 से अध्याय 5 में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त, इस अध्याय के विभिन्न भागों में उल्लिखित नियम इस अध्याय के संबंधित भाग के दायरे में निर्दिष्ट कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के कैप्टिव उपयोग के लिए दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने वाली प्राधिकृत इकाई पर भी लागू होंगे।

(2) अध्याय 1 से अध्याय 5 और अध्याय 6 के प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, अध्याय 6 के प्रावधान प्रचलित होंगे।

### भाग क: कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रॉकिंग सेवा (सीएमआरटीएस) प्राधिकरण

#### 38. कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रॉकिंग सेवा (सीएमआरटीएस) प्राधिकरण का दायरा

- (1) इस भाग क के प्रावधान कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रॉकिंग सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।
- (2) अध्याय 6 के भाग क के प्रयोजन के लिए:

(क) "कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रॉकिंग सर्विस" या "सीएमआरटीएस" का अर्थ है एक प्रकार की दूरसंचार सेवा जो कॉल की अवधि के लिए अस्थायी रूप से आवंटित की गई रेडियो आवृत्तियों की एक युग्म का उपयोग करके एक निर्दिष्ट स्पेक्ट्रम बैंड से सीएमआरटीएस सिस्टम को संपैग गए बेस स्टेशन के माध्यम से प्रयोक्ताओं के बीच दो-तरफा भूमि मोबाइल संचार को सक्षम बनाती है।

(ख) "लैंड मोबाइल सर्विस" का अर्थ है एक प्रकार की दूरसंचार सेवा जो बेस स्टेशन के माध्यम से रेडियो फ्रीबोंसी के एक युग्म का उपयोग करके प्रयोक्ताओं के बीच दो-तरफा भूमि मोबाइल संचार को सक्षम बनाती है।

- (3) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रॉकिंग सेवा प्राधिकरण के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रॉकिंग सर्विस (सीएमआरटीएस), या

(ख) भूमि मोबाइल सेवा।

- (4) सीएमआरटीएस प्राधिकरण रखने वाली एक प्राधिकृत इकाई सेवा क्षेत्र के भू-निर्देशांक के भीतर अपने स्वयं के कैप्टिव उपयोग के लिए प्राधिकरण का उपयोग करेगी, न कि सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रॉकिंग सेवा या किसी अन्य दूरसंचार सेवा (सेवाओं) को, जिसके लिए केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

#### 39. शुल्क और प्रभार

- (1) एक प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की प्रभावी तारीख से प्रति प्रयोक्ता टर्मिनल तीन सौ रुपये का वार्षिक प्राधिकरण शुल्क का भुगतान करेगी, जो न्यूनतम पाँच हजार रुपये प्रति प्राधिकरण के अधीन है:

बशर्ते कि प्राधिकरण की प्रभावी तारीख के चौथे वर्ष से और प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए, वार्षिक प्राधिकरण शुल्क प्रति प्राधिकरण न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन होगा।

बशर्ते कि पुलिस, अप्रिशमन, या सरकारी सुरक्षा सेवा सहित सेवाओं के लिए सीएमआरटीएस प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई को किसी भी वार्षिक प्राधिकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

बशर्ते कि प्राधिकरण के नवीकरण के मामले में, प्राधिकरण शुल्क नवीकरण की प्रभावी तारीख से प्रत्येक प्राधिकरण के लिए न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन होगा।

बशर्ते कि मौजूदा लाइसेंस के सीएमआरटीएस प्राधिकरण में माइग्रेशन के मामले में, माइग्रेशन की प्रभावी तिथि से, प्रत्येक प्राधिकरण के लिए न्यूनतम वार्षिक प्राधिकरण शुल्क होगा:

(क) पाँच हजार रुपये, ऐसे लाइसेंस के मामले में जो लाइसेंस प्रदान किए जाने की तिथि से तीन वर्ष से कम समय से परिचालन में है, उस अवधि तक जिसके दौरान लाइसेंस और प्राधिकरण के तहत संयुक्त संचालन तीन वर्ष के बराबर हो;

(ख) पच्चीस हजार रुपये, अन्य सभी मामलों में।

बशर्ते कि उपरोक्त खंड के प्रयोजन के लिए, लाइसेंस के तहत एक वर्ष के कुछ भाग के लिए संचालन को एक पूर्ण वर्ष के रूप में गिना जाएगा।

- (2) इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण शुल्क की मात्रा को प्राधिकरण की अवधि के भीतर किसी भी समय इन नियमों में संशोधन के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकेगा।

#### 40. भुगतान की अनुसूची

(1) इन नियमों के तहत निर्धारित प्राधिकरण शुल्क अप्रैल की पहली तारीख से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों में देय होगा और प्राधिकरण की किसी भी अवधि के लिए शुल्क जो एक तिमाही से कम है, की गणना संबंधित तिमाही में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(2) प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित तरीके से प्राधिकरण शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान करेगी:

(क) वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के संबंध में तिमाही किस्त का भुगतान संबंधित तिमाही के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा; और

(ख) अंतिम तिमाही के लिए त्रैमासिक किस्त का भुगतान पञ्चीस मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए उपयोग में आने वाले प्रयोक्ता टर्मिनलों की अपेक्षित संख्या के आधार पर की जाएगी;

बशर्ते कि एक प्राधिकृत इकाई अंतिम तिमाही के लिए किए गए अग्रिम भुगतान और अगले वित्तीय वर्ष के पंद्रह अप्रैल तक ऐसी तिमाही के लिए विधिवत देय वास्तविक राशि के बीच अंतर को समायोजित और भुगतान करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अनुसार भुगतानों की गणना प्रत्येक महीने के अंत में उपयोग में आने वाले प्रयोक्ता टर्मिनलों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिसे तिमाही के सभी महीनों के लिए जोड़ा जाएगा और महीनों की संख्या से विभाजित किया जाएगा:

बशर्ते कि एक महीने से कम अवधि के लिए, उस महीने के लिए प्रयोक्ता टर्मिनलों की संख्या की गणना महीने में दिनों की कुल संख्या के खिलाफ प्राधिकरण के तहत दिनों की वास्तविक संख्या के कारक का उपयोग करके यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(4) उप-नियम (2) के अनुसार भुगतान, पोर्टल पर निर्दिष्ट किए जा सकने वाले रूप और तरीके से, निम्न द्वारा किया जाएगा: (ए) प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित, जो बोर्ड के संकल्प और जनरल पावर ऑफ अटार्नी द्वारा अधिकृत है और (बी) प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित प्रत्येक प्राधिकरण के लिए प्राधिकरण शुल्क की गणना का एक विवरण:

परन्तु केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग, भारत की संसद, भारत के किसी राज्य की विधान सभा, किसी न्यायालय या केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी एजेंसी या स्वायत्तशासी संस्था के मामले में ऐसे स्व-प्रमाणपत्र और विवरण पर ऐसे कार्यालयों पर लागू होने वाली आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया जा सकेगा।

(5) इस तरह के भुगतान के लिए निर्दिष्ट अवधि से परे किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा देय प्राधिकरण शुल्क या किसी अन्य बकाया राशि के भुगतान में किसी भी देरी की स्थिति में, प्राधिकृत इकाई भी भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की दर से, जैसा कि संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लागू है, अर्थात् पहली अप्रैल, से दो प्रतिशत ज्यादा सालाना चक्रवृद्धि गणना किए गए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी:

बशर्ते कि ब्याज की गणना के उद्देश्य से महीने के किसी भी हिस्से को पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।

(6) इन नियमों के तहत बकाया और देय होने वाली सभी धनराशि का भुगतान एक प्राधिकृत इकाई द्वारा पोर्टल पर निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

(7) प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक वर्ष के जून के तीसवें दिन या उससे पहले, उप-नियम (2) के आधार पर, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उप-नियम (5) के अनुसार लागू ब्याज सहित प्राधिकरण शुल्क का अंतिम समायोजन करेगी।

#### 41. प्राधिकरण के लिए गारंटी आवश्यकताएं

(1) प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, पोर्टल पर निर्दिष्ट फॉर्म और तरीके से निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की गारंटी प्रस्तुत करेगी:

(क) किसी भी अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से बैंक गारंटी;

(ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा जारी बीमा ज़मानत बांड; या

(ग) केंद्रीय सरकार के पास गैर-व्याज-वहन सुरक्षा जमा:

बशर्ते कि पुलिस, अग्नि, या सरकारी सुरक्षा सेवा के प्रबंधन के लिए सीएमआरटीएस प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई को इस उप-नियम के तहत गारंटी जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट गारंटी का उद्देश्य प्राधिकरण के सभी निबंधनों और शर्तों के उचित अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें प्राधिकरण शुल्क, स्पेक्ट्रम प्रभार, उल्लंघन के लिए लगाए गए दंड या प्राधिकरण के किसी भी निबंधन और शर्तों के उल्लंघन या समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचनाओं, आदेश, निर्देश या दिशानिर्देश का अनुपालन न करने के लिए लगाया गया जुर्माना और प्राधिकरण के तहत देय कोई अन्य बकाया शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(3) उप-नियम (1) के तहत प्रस्तुत गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा आवधिक वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी और एक प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की अवधि के लिए एक वैध गारंटी बनाए रखेगी, या जब तक प्राधिकरण के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, जो भी बाद में हो:

बशर्ते कि आशय पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रारंभिक गारंटी अनुसूची के लिए एक वैध गारंटी बनाए रखेगी, और प्राधिकरण के बाद के वर्षों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि के लिए, उच्चतर के आधार पर:

(क) प्रारंभिक गारंटी की राशि, और (ख) संयुक्त अनुमानित राशि का बीस प्रतिशत, पोर्टल पर इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार गणना की जाती है, निम्नलिखित में से:

- (i) दो तिमाहियों के लिए प्राधिकरण शुल्क, और
- (ii) कोई अन्य बकाया जो अन्यथा सुरक्षित नहीं है।

(4) प्राधिकृत इकाई ऐसी गारंटी की वैधता अवधि को उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले केंद्रीय सरकार से किसी भी मांग या नोटिस के बिना बढ़ाएगी।

(5) प्राधिकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय वैध गारंटी बनाए रखने में कोई विफलता, या जब तक प्राधिकरण के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, जो भी बाद में हो, केंद्रीय सरकार प्राधिकृत इकाई को किसी भी नोटिस के बिना वैकं गारंटी के नकदीकरण, बीमा ज़मानत बांड का दावा करने, या सुरक्षा जमा को विनियोजित करने, जैसा भी मामला हो, की हकदार होगी:

बशर्ते कि ऐसी गारंटी के नकदीकरण, दावे या विनियोग पर केंद्रीय सरकार द्वारा कोई व्याज या मुआवजा देय नहीं होगा।

(6) जब गारंटी को पूरी तरह या आंशिक रूप से नकदीकरण, दावा या विनियोजित किया गया है, तो ऐसे अवसरों पर एक प्राधिकृत इकाई इस तरह के नकदीकरण, दावे, या विनियोजित गारंटी, जैसा भी मामला हो, को इस तरह के नकदीकरण, दावे या विनियोग के पंद्रह दिनों के भीतर पूरी राशि तक बहाल करेगी।

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार, उप-नियम (6) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, इस तरह की बहाली के लिए एक बार दस दिन तक के विस्तार की अनुमति दे सकती है, बशर्ते कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जा रहा हो।

(7) दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 के तहत अपने अधिकारों या किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित मामलों में गारंटी का नकदीकरण, दावा या विनियोजन कर सकती है:

- (क) प्राधिकरण शुल्क या प्राधिकरण या असाइनमेंट के तहत देय किसी अन्य बकाया राशि का भुगतान न करना;
- (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए दंड से उत्पन्न होने वाली बकाया राशि का भुगतान न करना; या
- (ग) प्राधिकरण या असाइनमेंट के किसी अन्य निबंधन या शर्त का उल्लंघन।

(8) प्राधिकरण के निरसन, समर्पण या समाप्ति पर सभी बकायों की निकासी सुनिश्चित करने के बाद ही किसी प्राधिकृत इकाई को संबंधित गारंटी जारी की जाएगी, जो एक प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार को देय राशियों का भुगतान करने में विफलता के मामले में, केंद्रीय सरकार को देय राशियों की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बकाया राशि की वसूली गारंटी के नकदीकरण, दावे या विनियोग के माध्यम से ऐसी प्राधिकृत इकाई को बिना किसी और सूचना के की जाएगी।

## 42. प्राधिकरण शुल्क का मूल्यांकन

(1) केन्द्रीय सरकार, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार को देय प्राधिकरण शुल्क और किन्हीं अन्य प्रभारों का मूल्यांकन कर सकती है।

**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "मूल्यांकन" में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना शामिल होगी।

(2) जहां एक प्राधिकृत इकाई किसी अन्य दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए, या एक अलग सेवा क्षेत्र में एक ही दूरसंचार सेवा के लिए एक प्राधिकरण रखती है, वह प्रत्येक प्राधिकरण के लिए अलग-अलग वार्षिक खातों को बनाए रखेगा और प्रस्तुत करेगा और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देश का पालन करेगा, साथ ही साथ इस प्रयोजन के लिए ट्राई द्वारा जारी किए गए आदेश, निर्देश, दिशानिर्देश अथवा विनियमों का पालन करेगा।

(3) प्राधिकृत इकाई एक वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण शुल्क की गणना के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी में, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंत से कम से कम छह साल की अवधि के लिए बनाए रखेगी और संरक्षित करेगी।

बशर्ते, यदि किसी भी अवधि के लिए प्राधिकरण शुल्क या कोई अन्य शुल्क विवाद के अधीन है, तो उक्त रिकॉर्ड तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि विवाद हल नहीं हो जाता, भले ही अवधि ऊपर निर्दिष्ट छह साल की अवधि से आगे बढ़ जाए।

(4) केंद्रीय सरकार या ट्राई, किसी भी समय, किसी प्राधिकृत इकाई को सूचना की आपूर्ति करने या उन रिकॉर्डों तक पहुंच प्रदान करने का निर्देश दे सकती है जो ऐसी प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकरण की शर्तों के तहत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के संबंध में रखती है, और ऐसी प्राधिकृत इकाई तुरंत इस तरह के निर्देश का पालन करेगी।

(5) प्राधिकृत इकाई के अभिलेख ऐसी संवीक्षा के अध्यधीन होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं ताकि प्राधिकरण शुल्क और किन्हीं अन्य प्रभारों सहित केंद्रीय सरकार को देय राशियों के स्वतंत्र सत्यापन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(6) यदि कोई प्राधिकृत इकाई संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार माह के भीतर नियम 40 के उप-नियम (4) के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो केंद्रीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्तावेजों, सूचना और संबंधित सामग्रियों की समीक्षा करने के पश्चात् सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर प्राधिकरण शुल्क का मूल्यांकन कर सकती है।

बशर्ते कि, इस तरह के मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने से पहले, केंद्रीय सरकार प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी करेगी जो उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करती है।

(7) इस नियम के तहत कोई भी मूल्यांकन ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से चार साल की अवधि के बाद एक संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय उपनियम (8) के अधीन उपबंधित के।

(8) केंद्रीय सरकार संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष बीत जाने के बाद और ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष तक राशि निर्धारण कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि राशि निर्धारण से बच गई राशि ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए दस लाख रुपए या उससे अधिक की राशि के बराबर होने की संभावना है।

(9) उप-नियम (7) और उप-नियम (8) के तहत निर्दिष्ट सीमा की अवधि की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अदालत के आदेश या निषेधाज्ञा के अनुसार इस तरह के मूल्यांकन पर किसी भी रोक को बाहर रखा जाएगा।

(10) उप-नियम (7) और उप-नियम (8) में निहित किसी भी बात के बावजूद, सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित किसी भी निष्कर्ष या निर्देश के अनुसरण में किसी भी समय प्राधिकरण शुल्क का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(11) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण शुल्क और भुगतान किए गए किसी अन्य प्रभार का उचित और सटीक मूल्यांकन, सत्यापन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकृत इकाइयों के खातों और लेखा परीक्षा के संबंध में, सभी या किसी दूरसंचार

सेवाओं के संबंध में, प्राधिकृत इकाईयों को उचित निर्देश जारी कर सकती है, और एक प्राधिकृत इकाई ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

#### 43. तकनीकी और प्रचालन शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई अपने सीएमआरटीएस सिस्टम या लैंड मोबाइल सर्विस सिस्टम को पीएसटीएन, पीएलएमएन, जीएमपीसीएस या इंटरनेट सहित सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क से नहीं जोड़ेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई अपने सीएमआरटीएस सिस्टम या लैंड मोबाइल सर्विस सिस्टम को सीएमआरटीएस सिस्टम या लैंड मोबाइल सर्विस सिस्टम या किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के कैप्टिव टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्ट नहीं करेगी।

(3) प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र के भीतर अपने सीएमआरटीएस या भूमि मोबाइल सर्विस बेस स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित कर सकती है।

(4) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि एक बार जब किसी प्रयोक्ता को दूरसंचार के उद्देश्य के लिए सीएमआरटीएस प्रणाली द्वारा रेडियो फ्रीड्रॉन्सी का एक युग्म सौंपा जाता है, तो ऐसे दूरसंचार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

(5) प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से किए गए आवेदन के अनुसरण में, उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर बेस स्टेशन के स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकती है जिसके लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है:

बशर्ते कि, बेस स्टेशन के स्थान के ऐसे स्थानांतरण के परिणामस्वरूप रेडियो कवरेज उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहेगा जिसके लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है।

(6) प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित के संबंध में इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से किए गए आवेदन के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अतिरिक्त बेस स्टेशन स्थापित कर सकता है जिसके लिए स्पेक्ट्रम सौंपा गया है:

(क) नए बेस स्टेशन (स्टेशनों) के लिए आवृत्तियों के अतिरिक्त ब्लॉक; या

(ख) ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट आवृत्तियों का उपयोग, नए बेस स्टेशन पर निर्दिष्ट आवृत्तियों के पूल से कुछ आवृत्ति वाहकों को आंशिक रूप से स्थानांतरित करके;

बशर्ते कि अतिरिक्त बेस स्टेशन की स्थापना से उत्पन्न रेडियो कवरेज, उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहेगा जिसके लिए स्पेक्ट्रम सौंपा गया है।

(7) प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार को पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से पूर्व सूचना देने के बाद अपने रेडियो उपकरण या प्रयोक्ता टर्मिनलों को बदल सकती है।

(8) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता टर्मिनल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचित मानकों को पूरा करता है और इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण के निवंधनों और शर्तों तथा प्रासंगिक अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचालित किया जाता है।

#### 44. रोल आउट शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई भौगोलिक क्षेत्र में जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम सौंपा गया है, ऐसे असाइनमेंट की तारीख से बारह महीने के भीतर दूरसंचार नेटवर्क को रोल आउट करेगी।

(2) उप-नियम (1) के तहत दूरसंचार नेटवर्क के रोल आउट का अर्थ सीएमआरटीएस प्रणाली या भूमि मोबाइल सेवा प्रणाली की संस्थापना और कमीशनिंग होगा, जिसमें भौगोलिक रूप से कम से कम एक बेस स्टेशन की कमीशनिंग शामिल है जिसके लिए स्पेक्ट्रम सौंपा गया है।

(3) प्राधिकृत इकाई को सीएमआरटीएस प्रणाली या भूमि मोबाइल सेवा प्रणाली की कमीशनिंग के सत्यापन के लिए पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से केंद्रीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा।

(4) उप-नियम (3) के तहत सफल सत्यापन पर, केंद्रीय सरकार के साथ पंजीकरण की तारीख को रोलआउट दायित्वों के अनुपालन की तारीख के रूप में माना जाएगा।

(5) उप-नियम (3) के तहत दूरसंचार नेटवर्क के रॉल आउट के सत्यापन में विफलता के मामले में, प्राधिकृत इकाई आवश्यक सुधारों के बाद फिर से पंजीकरण करेगी, और ऐसे मामले में, सफल सत्यापन पर, केंद्रीय सरकार के साथ पुनः पंजीकरण की तारीख को रोल आउट दायित्व के अनुपालन की तारीख के रूप में माना जाएगा।

(6) रोलआउट दायित्वों का पालन करने में किसी भी विफलता को प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 के अनुसार निपटा जाएगा:

बशर्ते कि यदि ऐसे दायित्वों का अनुपालन करने के लिए नियत तारीख की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर रॉल आउट दायित्वों का अनुपालन किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार इसे प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन माने बिना रोलआउट दायित्व की पूर्ति के रूप में मानेगी।

(7) रोलआउट दायित्वों का पालन करने में विफलता के मामले में, दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 के अनुसार सिविल जुर्माना लगाने के अलावा, सीएमआरटीएस या भूमि मोबाइल सेवा के लिए स्पेक्ट्रम अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अनुसार वापस लिया जा सकता है।

#### 45. सुरक्षा शर्तें

प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार निगरानी सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था करेगी।

#### भाग ख: कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) सेवा प्राधिकरण

#### 46. कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) प्राधिकरण का दायरा

(1) इस भाग ख के प्रावधान कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) सेवा प्राधिकरण धारक प्राधिकृत इकाईयों पर लागू होंगे।

(2) सीएनपीएन सेवा प्राधिकरण के दायरे में राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र में प्रचालन के क्षेत्र के भीतर सीएनपीएन की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने का प्राधिकरण शामिल है, जो कैप्टिव गैर-सार्वजनिक उपयोग के लिए प्राधिकृत इकाई द्वारा स्वामित्व या पट्टे पर लिए गए कब्जे वाले परिसर की तार्किक परिधि के भू-निर्देशांक तक सीमित है;

बशर्ते कि प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार को इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट रूप और तरीके से पूर्व सूचना देने के बाद, राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर प्रचालन के ऐसे क्षेत्र की तार्किक परिधि के भू-निर्देशांक के साथ, एक अलग स्थान पर एक नया सीएनपीएन स्थापित कर सकती है।

(3) प्राधिकृत इकाई जिसके पास प्रचालन के एक से अधिक क्षेत्र हैं, उसे केवल एक सीएनपीएन सेवा प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।

(4) सीएनपीएन सेवा प्राधिकरण रखने वाली एक प्राधिकृत इकाई किसी भी वाणिज्यिक या सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए अपने दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग नहीं करेगी।

#### 47. शुल्क और प्रभार

सीएनपीएन सेवा प्राधिकरण के संबंध में प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

#### 48. तकनीकी और प्रचालन शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई अपने सीएनपीएन को पीएसटीएन, पीएलएमएन, जीएमपीसीएस या इंटरनेट सहित सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क से नहीं जोड़ेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई संबंधित प्राधिकृत इकाइयों से प्राप्त घरेलू लीजड सर्किट के माध्यम से कई स्थानों पर स्थापित अपने सीएनपीएन को जोड़ सकती है।

(3) प्राधिकृत इकाई अपने सीएनपीएन को किसी अन्य प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित सीएनपीएन के साथ इंटरकनेक्ट नहीं करेगी।

(4) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक सीएनपीएन के वायरलेस सिग्नल इनडोर या प्रचालन के क्षेत्र के भीतर प्रतिबंधित हैं।

(5) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि किसी अन्य प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित दूरसंचार नेटवर्क में कोई हानिकारक हस्तक्षेप नहीं है।

#### 49. स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट और उपयोग

(1) एक प्राधिकृत इकाई एक्सेस स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकती है:

(क) अधिनियम की धारा 8 के तहत निर्धारित नियमों या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, एक्सेस सेवा या एकीकृत सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाइयों से लीज पर, या

(ख) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन विहित नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार से सीधे।

बशर्ते कि प्राधिकृत इकाई नियम 46 के उप-नियम (2) के अनुसार प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए सीएनपीएन स्थापित करने की पूर्व सूचना के बाद ही प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक एक्सेस स्पेक्ट्रम प्राप्त करेगी।

(2) प्राधिकृत इकाई जो सीएनपीएन प्राधिकरण वाली प्राधिकृत इकाई को स्पेक्ट्रम लीज पर देती है, उसे सीएनपीएन नेटवर्क अथवा सेवा के संभावित दुरुपयोग की जांच के लिए ऐसे स्पेक्ट्रम को लीज पर देने वाली प्राधिकृत इकाई का आवधिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) यदि कोई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के अंतर्गत सीएनपीएन नेटवर्क अथवा सेवा के किसी दुरुपयोग का पता लगाती है तो वह अपने लीज पर लिए गए स्पेक्ट्रम को तत्काल वापस ले लेगी और ऐसे दुरुपयोग का पता चलने के चौबीस घंटे के भीतर लिखित में केंद्रीय सरकार को सूचित करेगी।

#### 50. सुरक्षा शर्तें

प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार निगरानी उपकरण और सुविधाएं स्थापित करेगी।

#### भाग ग: कैप्टिव वीसैट सेवा प्राधिकरण

##### 51. कैप्टिव वीएसएटी सेवा प्राधिकरण का दायरा

(1) इस भाग ग के प्रावधान कैप्टिव वीसैट सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) कैप्टिव वीसैट सेवा प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) ई-सिम सहित वीसैट का उपयोग करके दूरसंचार सेवाओं के कैप्टिव उपयोग के लिए उपग्रह दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करना;

(ख) खंड (क) के तहत स्थापित दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके, अपने स्वयं के कार्यालयों या साइटों के बीच डेटा कनेक्टिविटी स्थापित करना।

(3) कैप्टिव वीसैट सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई किसी भी वाणिज्यिक या सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए अपने दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग नहीं करेगी।

## 52. शुल्क और प्रभार

(1) कैप्टिव वीसैट सेवा प्राधिकरण धारक प्राधिकृत इकाई को ऐसे प्राधिकरण की प्रभावी तारीख से संस्थापित ई-सिम सहित प्रति वीसैट दस हजार रुपए का वार्षिक प्राधिकरण शुल्क देना होगा।

(2) इन नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकरण शुल्क की मात्रा को प्राधिकरण की अवधि के भीतर किसी भी समय इन नियमों में संशोधन के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है।

## 53. भुगतान की अनुसूची

(1) इन नियमों के अनुसार निर्धारित प्राधिकरण शुल्क पहली अप्रैल से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों में देय होगा, और प्राधिकरण की किसी भी अवधि के लिए शुल्क जो एक तिमाही से कम है, की गणना संबंधित तिमाही में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित तरीके से प्राधिकरण शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान करेगी:

(क) वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के संबंध में तिमाही किस्त का भुगतान संबंधित तिमाही के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा;

(ख) अंतिम तिमाही के लिए तिमाही किस्त का भुगतान पञ्चीस मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए उपयोग में ई-सिम सहित वी-सैट की अपेक्षित संख्या के आधार पर की जाएगी।

बशर्ते कि प्राधिकृत इकाई अंतिम तिमाही के लिए किए गए अग्रिम भुगतान और अगले वित्तीय वर्ष के पंद्रह अप्रैल तक ऐसी तिमाही के लिए विधिवत देय वास्तविक राशि के बीच अंतर को समायोजित और भुगतान करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अनुसार भुगतानों की गणना प्रत्येक महीने के अंत में उपयोग में आने वाले ई-सिम सहित वी-सैट की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिसे तिमाही के सभी महीनों के लिए जोड़ा जाएगा और महीनों की संख्या से विभाजित किया जाएगा:

बशर्ते कि एक महीने से कम अवधि के लिए, उस महीने के लिए ई-सिम सहित वी-सैट की संख्या की गणना महीने में दिनों की कुल संख्या के विरुद्ध प्राधिकरण के तहत दिनों की वास्तविक संख्या के कारक का उपयोग करके यथानुपात आधार पर की जाएगी।

**स्पष्टीकरण:** इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए:

(क) वीसैट में सभी प्रकार के वीसैट शामिल होंगे जिनमें केवल प्राप्त करना, केवल प्रेषित करना, दोनों प्राप्त करना और प्रेषित करना शामिल है।

(ख) प्राधिकरण शुल्क नेटवर्क में हबों की संख्या पर ध्यान दिए बिना ई-सिम सहित वीसैट की कुल संख्या पर आधारित होगा तथा इसमें कोई न्यूनतम प्राधिकरण शुल्क नहीं लगेगा।

(ग) डायरेक्ट-टू-सैटेलाइट सहित किसी भी आर्किटेक्चर में उपयोग किए जाने वाले एम2एम या आईओटी उपकरणों को प्राधिकरण शुल्क की गणना के उद्देश्य से वीसैट के रूप में नहीं माना जाएगा।

(4) उप-नियम (2) के अनुसार भुगतान पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से किया जाएगा: (क) एक स्व-प्रमाण पत्र, एक प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित, जो एक बोर्ड संकल्प और जनरल पावर ऑफ अटोर्नी द्वारा प्राधिकृत है, और (ख) एक प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित प्रत्येक प्राधिकरण के लिए प्राधिकरण शुल्क की गणना का एक विवरण।

परन्तु केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग, भारत की संसद, भारत के किसी राज्य की विधान सभा, किसी न्यायालय या केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी एजेंसी या स्वायत्तशासी संस्था के मामले में ऐसे स्व-प्रमाणपत्र और विवरण पर ऐसे कार्यालयों को लागू होने वाली आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया जा सकेगा।

(5) किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकरण शुल्क या किसी अन्य देय राशि के भुगतान में ऐसे भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक विलंब होने की स्थिति में, प्राधिकृत इकाई को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की दर से परिकलित ब्याज का भुगतान करना होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित दो प्रतिशत अधिक की दर के साथ संबन्धित वित्त वर्ष के आरंभ में अर्थात् 1 अप्रैल को मौजूद था:

वशर्ते कि ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए किसी माह के किसी भाग को पूर्ण माह माना जाएगा।

(6) इन नियमों के अंतर्गत देय सभी धनराशियों का भुगतान, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट तरीके से, प्राधिकृत इकाई द्वारा किया जाएगा।

(7) प्राधिकृत इकाई प्रत्येक वर्ष 30 जून को या उससे पहले उप-नियम (2) के आधार पर पिछले वित्त वर्ष के लिए उप-नियम (5) के अनुसार लागू ब्याज सहित प्राधिकरण शुल्क का अंतिम समायोजन करेगी।

#### 54. प्राधिकरण के लिए गारंटी संबंधी आवश्यकताएँ

(1) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए एक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की गारंटी, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से प्रस्तुत करेगी:

- (क) किसी भी अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से बैंक गारंटी,
- (ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार किसी बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया बीमा ज़मानत बांड; या
- (ग) केंद्रीय सरकार के पास ब्याज रहित सुरक्षा जमा।

वशर्ते कि कैप्टिव बीसैट सेवा प्राधिकरण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग को कोई गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट होगी।

(2) उप-नियम (1) के तहत विनिर्दिष्ट गारंटी का प्रयोजन प्राधिकरण के सभी नियमों और शर्तों के उचित अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है जिसमें प्राधिकरण शुल्क, स्पेक्ट्रम प्रभार, प्राधिकरण के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर लगाए गए जुर्माने या समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने और प्राधिकरण के तहत देय किसी भी अन्य बकाया राशि का भुगतान शामिल है।

(3) उप-नियम (1) के तहत प्रस्तुत गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा आवधिक वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी और प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की अवधि के लिए या प्राधिकरण के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान होने तक, जो भी बाद में हो, वैध गारंटी बनाए रखेगी:

वशर्ते कि लेटर ऑफ ईंटेंट के अनुसरण में प्रस्तुत प्रारंभिक गारंटी अनुसूची के में प्रत्येक संबन्धित प्राधिकरण के संबंध में विनिर्दिष्ट राशि के लिए होगी और प्राधिकरण के बाद के वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि के लिए इनमें से उच्चतर राशि के आधार पर: (क) प्रारंभिक गारंटी की राशि और (ख) संयुक्त अनुमानित राशि का बीस प्रतिशत, पोर्टल पर इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार गणना की गई,:-

- (i) दो तिमाहियों के लिए प्राधिकरण शुल्क, और
- (ii) कोई अन्य बकाया जो अन्यथा सुरक्षित न हो।

(4) प्राधिकृत इकाई ऐसी गारंटी की वैधता अवधि को केंद्रीय सरकार से किसी मांग या नोटिस के बिना इसकी समाप्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व बढ़ाएगी।

(5) प्राधिकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय वैध गारंटी बनाए रखने में विफलता, या प्राधिकरण के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान होने तक जो भी बाद में हो, केंद्रीय सरकार को बैंक गारंटी को इनकैश करने, बीमा ज़मानत बांड का दावा करने या प्राधिकृत इकाई को कोई नोटिस दिए बिना सुरक्षा जमा को विनियोजित करने का, जैसा भी मामला हो, अधिकार होगा:—

वशर्ते कि ऐसी गारंटी के नकदीकरण, दावे या विनियोग पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याज या प्रतिकर देय नहीं होगा।

(6) जब गारंटी को पूर्णतः या आंशिक रूप से इनकैश, दावा या विनियोजित कर लिया गया हो तो ऐसे अवसरों पर प्राधिकृत इकाई, यथास्थिति, ऐसी इनकैशमेंट, दावा की या विनियोजित गारंटी को ऐसे इनकैश किए जाने, दावे या विनियोजन के पंद्रह दिनों के भीतर पूरी राशि पर वापस लौटा देगी।

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर अनुमति दे सकती है, ऐसी बहाली के लिए अधिकतम दस दिन का एक बार विस्तार, लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाने के अधीन होगा।

(7) दूरसंचार (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के अंतर्गत अपने स्वयं के अधिकारों या किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित मामलों में गारंटी को कैस कर सकती है, दावा कर सकती है या विनियोजित कर सकती है :

- (क) प्राधिकरण शुल्क या प्राधिकरण या असाइनमेंट के तहत देय किसी अन्य बकाया का भुगतान न करना;
- (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए जुमानि से उत्पन्न बकाया राशि का भुगतान न करना; या
- (ग) प्राधिकरण या असाइनमेंट के किसी अन्य नियम या शर्त का उल्लंघन।

(8) प्राधिकरण के निरस्तीकरण, सरेंडर या समाप्ति पर, प्रासंगिक गारंटी प्राधिकृत इकाई को केवल सभी बकाया राशि के भुगतान के बाद ही जारी की जाएगी, जिसे प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार को देय राशि का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, बकाया राशि की वसूली, दावे या गारंटी के विनियोजन के माध्यम से की जाएगी तथा केन्द्रीय सरकार पर देय राशि की वसूली करने के लिए किसी अन्य कार्रवाई करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा ऐसी प्राधिकृत इकाई को कोई अतिरिक्त सूचना नहीं दी जाएगी।

## 55. प्राधिकरण शुल्क का मूल्यांकन

(1) केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण शुल्क और केन्द्रीय सरकार को देय किसी अन्य प्रभारों का मूल्यांकन कर सकती है।

**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “मूल्यांकन” शब्द में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना शामिल होगी।

(2) जहां कोई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण रखती है तो उसे प्रत्येक प्राधिकरण के लिए अलग-अलग वार्षिक खाते बनाए रखने होंगे और प्रस्तुत करने होंगे तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए ट्राई द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश, निर्देश, दिशानिर्देश या विनियमन का अनुपालन करना होगा।

(3) प्राधिकृत इकाई को किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण शुल्क की गणना से संबंधित रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक तथा हार्ड कॉपी में, संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह वर्ष की अवधि तक बनाए रखना होगा तथा संरक्षित रखना होगा।

बशर्ते कि, यदि किसी अवधि के लिए प्राधिकरण शुल्क या कोई अन्य प्रभार विवादाधीन है, तो उक्त रिकॉर्ड विवाद के समाधान होने तक रखे जाएंगे, भले ही वह अवधि ऊपर विनिर्दिष्ट छह वर्ष की अवधि से आगे बढ़ जाए।

(4) केन्द्रीय सरकार या ट्राई किसी भी समय किसी प्राधिकृत इकाई को सूचना उपलब्ध कराने या उन रिकॉर्ड जो ऐसी प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकरण की शर्तों के तहत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के संबंध में रखती है, तक पहुंच प्रदान करने का निर्देश दे सकता है और ऐसी प्राधिकृत इकाई को ऐसे निर्देश का तत्काल अनुपालन करना होगा।

(5) किसी प्राधिकृत इकाई के रिकॉर्ड की ऐसी जांच की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ताकि प्राधिकरण शुल्क और अन्य प्रभारों सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा देय राशियों का स्वतंत्र सत्यापन सुकर बनाया जा सके।

(6) यदि कोई प्राधिकृत इकाई प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने के चार महीने के भीतर नियम 53 के उप-नियम (4) के तहत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर केन्द्रीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्तावेजों, सूचनाओं और संबंधित सामग्रियों की समीक्षा करने के बाद प्राधिकरण शुल्क का मूल्यांकन कर सकती है।

बशर्ते कि, ऐसे मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने से पहले, केन्द्रीय सरकार किसी प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी करेगी और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

(7) इस नियम के तहत किसी भी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के बाद कोई भी मूल्यांकन, केवल उप-नियम (8) के तहत प्रदान किए गए मूल्यांकन को छोड़कर, नहीं किया जाएगा।

(8) केन्द्रीय सरकार संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति होने की चार वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् तथा ऐसे वित्त वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष की अवधि तक कर निर्धारण कर सकेगी यदि उसकी यह राय हो कि कर निर्धारण से बकाया राशि ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए दस लाख रुपए या उससे अधिक की राशि के समतुल्य हो।

(9) उप-नियम (7) और उप-नियम (8) के तहत विनिर्दिष्ट सीमा की अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा के अनुसरण में ऐसे मूल्यांकन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

(10) उप-नियम (7) और उप-नियम (8) में निहित किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण शुल्क का निर्धारण किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित किसी निर्णय या निर्देश के अनुसरण में किसी भी समय किया जा सकता है।

(11) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण शुल्क और भुगतान किए गए किसी अन्य प्रभार का उचित और सटीक मूल्यांकन, सत्यापन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी या किसी भी दूरसंचार सेवाओं के संबंध में प्राधिकृत इकाइयों के खातों और लेखा परीक्षा के संबंध में प्राधिकृत इकाइयों को उचित निर्देश जारी कर सकती है और एक प्राधिकृत इकाई ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

## 56. तकनीकी और परिचालन संबंधी शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि वीसैट किसी ऐसे स्रोत से प्राप्त किया जाए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिसूचित मानकों को पूरा करता हो तथा प्राधिकरण की निर्वाचन तथा शर्तों और प्रासंगिक अनुदेशों, निर्देशों या आदेशों के अनुसार प्रचालित हो जैसा कि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) एक प्राधिकृत इकाई या तो भारत के भीतर अपना स्वयं का सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित कर सकती है या अन्य प्राधिकृत इकाइयों द्वारा स्थापित सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे का उपयोग कर सकती है जो अपने संबंधित प्राधिकरणों की शर्तों के तहत ऐसे सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे को साझा करने योग्य हैं।

(3) कोई भी प्राधिकृत इकाई अपने कैप्टिव वीसैट दूरसंचार नेटवर्क को पीएसटीएन, पीएलएमएन या जीएमपीसीएस नेटवर्क सहित सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क से नहीं जोड़ेगी।

(4) एक प्राधिकृत इकाई, कैप्टिव उपयोग के लिए, अपने सेटेलाइट पृथ्वी स्टेशन गेटवे को इंटरनेट से जोड़ सकती है:

बशर्ते कि सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और इंटरनेट के बीच कनेक्शन घरेलू लीज्ड सर्किट के माध्यम से स्थापित किया जाएगा जो घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान करने के लिए प्राधिकरण या लाइसेंस रखने वाली किसी प्राधिकृत इकाई से प्राप्त किया जाएगा।

(5) कोई भी प्राधिकृत इकाई अपने कैप्टिव वीसैट दूरसंचार नेटवर्क को किसी अन्य प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित कैप्टिव वीसैट दूरसंचार नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ेगी।

(6) एक प्राधिकृत इकाई कैप्टिव उपयोग के लिए लागू कानून के अनुसार डेटा स्थानांतरित करने के उद्देश्य से भारत में अपने सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे को भारत के बाहर अपने कार्यालयों से जोड़ सकती है:

बशर्ते कि सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और भारत के बाहर के कार्यालयों के बीच ऐसा कनेक्शन, किसी प्राधिकृत इकाई से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टा सर्किट के माध्यम से स्थापित किया गया हो जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टा सर्किट प्रदान करने के लिए प्राधिकरण या लाइसेंस हो।

(7) एक प्राधिकृत इकाई को सेटेलाइट नेटवर्क स्थापित करने या संचालित करने से पहले पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से केन्द्रीय सरकार को आवेदन करना होगा और सेटेलाइट नेटवर्क क्लियरेंस प्राप्त करना होगा।

(8) एक प्राधिकृत इकाई को:

(क) या तो संबंधित सेटेलाइट या स्पेस सेगमेंट क्षमता का स्वामित्व हो, या  
 (ख) अंतरिक्ष विभाग या इन-स्पेस द्वारा प्राधिकृत किसी स्पेस सेगमेंट प्रदाता या इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कार्यालय के साथ ऐसे सेटेलाइट या स्पेस सेगमेंट क्षमता को पट्टे पर देने के लिए करार करना ; और

(ग) यह सुनिश्चित करना कि खंड )ख(के तहत किए गए ऐसे करार में स्पेस सेगमेंट प्रदाता को किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करने का प्रावधान है जैसे:

- (i) अनधिकृत सेटेलाइट संकेत जो भारत में उत्पन्न या समाप्त हो रहा हो; और
- (ii) भारत से उसके नियंत्रण या संचालन के अधीन किसी सेटेलाइट तक अनाधिकृत पहुंच जिसका उपयोग भारत के बाहर दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए किया जा रहा हो;

प्राधिकृत इकाई को सूचित किया जाएगा और बदले में प्राधिकृत इकाई ऐसी घटनाओं की सूचना तत्काल आधार पर केंद्रीय सरकार को देगी;

(9) एक प्राधिकृत इकाई इस संबंध में निर्देश प्राप्त होने पर केंद्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा अपेक्षित विवरण और सूचना प्रदान करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) सेटेलाइट प्रणाली का विवरण ऐसे सेटेलाइट प्रणाली के लिए अर्थ स्टेशन गेटवे और संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क उनके स्थान विवरण के लिए,
- (ख) सेटेलाइट या स्पेस सेगमेंट क्षमता; और
- (ग) जहां ऐसी क्षमता किसी स्पेस सेगमेंट प्रदाता से पट्टे पर ली गई हो वहां ऐसे करार की प्रमाणित सत्य प्रति उपलब्ध कराएं।

(10) प्राधिकृत इकाई उपनियम (8) के खंड )ख( के अधीन विनिर्दिष्ट करारों में होने वाले किसी परिवर्तन के बारे में 15 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगी और ऐसे करार की संशोधित प्रति प्रस्तुत करेगी।

(11) एक प्राधिकृत इकाई एक या अधिक अनुमत सेटेलाइट प्रणालियों का उपयोग कर सकती है बशर्ते कि प्रत्येक ऐसी सेटेलाइट प्रणाली और संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क के लिए सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे भारत में स्थित हो।

(12) प्राधिकृत इकाई को अनुमत सेटेलाइट प्रणाली में कोई भी परिवर्तन करने से पहले जिसमें फ्रीब्रेंसी बैंड, प्रौद्योगिकी, सेटेलाइट की संख्या, कक्ष या स्पेस सेगमेंट से संबंधित किसी अन्य विन्यास में परिवर्तन करना शामिल है पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से केंद्रीय सरकार को पूर्व लिखित अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा।

(13) केन्द्रीय सरकार उपनियम (12) के अधीन आवेदन के मूल्यांकन के पश्चात् ऐसी प्राधिकृत इकाई को अपना लिखित अनुमोदन प्रदान कर सकती है।

(14) एक प्राधिकृत इकाई को:

(क) यह सुनिश्चित करना कि भारत में उपयोगकर्ता टर्मिनलों से शुरू होने वाला या उन पर समाप्त होने वाला सेटेलाइट नेटवर्क का समस्त ट्रैफिक, प्राधिकृत इकाई के सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और भारत में स्थित संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क से होकर गुजरेगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि भारत में स्थित उपयोगकर्ता टर्मिनल से उत्पन्न या समाप्त होने वाला कोई भी ट्रैफिक सीधे या इंटर-सेटेलाइट संचार लिंक, भारत में सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की विफलता के दौरान या दूरसंचार नेटवर्क अनुकूलन के भाग के माध्यम से भारत के बाहर स्थित सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के माध्यम से रूट नहीं किया जाता है;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि उपयोगकर्ता ट्रैफिक को इंटर-सेटेलाइट संचार लिंक या किसी अन्य माध्यम से भारत के बाहर स्थित किसी भी सेटेलाइट प्रणाली या सर्वर पर प्रतिबिंबित नहीं किया जाएगा;

(घ) उपर्युक्त खंड (क) से (ग) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रीयल टाइम ट्रैफिक निगरानी सुविधा प्रदान करना;

- (ङ) यह सुनिश्चित करना कि उपयोगकर्ता ट्रैफिक को सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के माध्यम से रूट बिना एक या अधिक सेटेलाइट के माध्यम से दो या अधिक उपयोगकर्ता टर्मिनलों के बीच कोई सीधा संचार नहीं होगा;
- (च) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से केंद्रीय सरकार को फ्रीब्रेंसी योजना से संबंधित विवरण प्रदान करना तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित फ्रीब्रेंसी योजना के अनुसार सेटेलाइट नेटवर्क का संचालन करना;
- (छ) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से केंद्रीय सरकार को एंटीना मापदंडों के स्व-प्रमाणित विवरण, उनके सत्यापन के लिए विकिरण पैटर्न परिणामों के साथ उपलब्ध कराना; और
- (ज) हस्तक्षेप की निगरानी के लिए कोई भी जानकारी प्रदान करना और परीक्षण करना तथा इसके मिटिगेशन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित आवश्यक कदम उठाना।

## 57. सुरक्षा संबंधी शर्तें

- (1) सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे, उपयोगकर्ता टर्मिनल और संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्रचालन, रखरखाव और नियंत्रण सुविधा भारत में स्थित होंगी।
- (2) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि अनुमत सेटेलाइट प्रणालियों का उपयोग दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाए जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है और ऐसी सेटेलाइट प्रणालियों का उपयोग निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सहित किसी भी अनधिकृत गतिविधि ऐसे तरीके से नहीं किया जाए जिससे भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा हो।
- (3) प्राधिकृत इकाई, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार वैध अवरोधन प्रणालियों और वैध अवरोधन और निगरानी सुविधाओं के प्रावधान, जैसा भी केंद्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट हो, की व्यवस्था करेगी।।
- (4) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि घरेलू ट्रैफिक भारत के बाहर किसी स्थान से होकर न गुजरे:
- बशर्ते कि घरेलू ट्रैफिक की सेवा के लिए सेटेलाइट का उपयोग करना, भारत के बाहर घरेलू ट्रैफिक को ले जाना या रूट करना नहीं माना जाएगा।
- (5) प्राधिकृत इकाई भारत के भीतर सेटेलाइट प्रणालियों के उपयोगकर्ता टर्मिनलों के प्रचालन की निगरानी, केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से करेगी और केन्द्रीय सरकार के निर्देशों पर, ऐसे उपयोगकर्ता टर्मिनलों की पहचान और स्थान से संबंधित विवरण प्रदान करेगी।।
- (6) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उपयोगकर्ता टर्मिनलों के वास्तविक स्थान को छिपाने के लिए उपयोगकर्ता टर्मिनलों में कोई स्थान स्पूफिंग उपकरण, चाहे वह हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, शामिल न किया जाए तथा अपने दूरसंचार नेटवर्क में ऐसे किसी उपकरण की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए।।
- (7) प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी उपयोगकर्ता टर्मिनल की दूरसंचार सेवाएं, चाहे वह निष्क्रिय मोड में हो या उपयोग में हो, उस समय बंद कर दी जाएं जब ऐसा उपयोगकर्ता टर्मिनल प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करता है जैसा कि नियम 26 के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।।
- (8) प्राधिकृत इकाई अपने उपयोगकर्ता टर्मिनलों में भारतीय नेविगेशन सेटेलाइट प्रणाली-आधारित स्थिति निर्धारण प्रणाली के प्रावधान के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों और समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।।
- (9) एक प्राधिकृत इकाई, जिसे भारत के बाहर किसी स्थान से अपने दूरसंचार नेटवर्क तक दूरस्थ पहुंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट ढंग और तरीके से निम्नलिखित के संबंध में व्यौरा प्रदान करते हुए केंद्रीय सरकार से अनुमति मांग सकती है:
- (क) ऐसी दूरस्थ पहुंच का उद्देश्य और अवधि तथा उस व्यक्ति का व्यौरा जो इसके दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच बनाएगा; और
- (ख) भारत के भीतर दूरसंचार नेटवर्क के विनिर्दिष्ट स्थान का विवरण, जिस तक भारत के बाहर विनिर्दिष्ट स्थान से दूरस्थ पहुंच की मांग की जाती है।।

(10) केन्द्रीय सरकार उपनियम (9) के अधीन आवेदन के अनुसरण में निम्नलिखित शर्तों के अधीन लिखित अनुमोदन प्रदान कर सकती है:

(क) दूरस्थ पहुंच भारत के बाहर अनुमोदित स्थानों से भारत के भीतर अनुमोदित स्थानों तक ही प्रदान की जाएगी और यह ऐसे अनुमोदन के तहत विनिर्दिष्ट उद्देश्य तक ही सीमित होगी;

(ख) दूरसंचार नेटवर्क तक दूरस्थ पहुंच से विधिसम्मत अवरोधन प्रणाली और विधिसम्मत अवरोधन एवं निगरानी सुविधाओं, कॉल डेटा रिकॉर्ड, संदेशों की विषय-वस्तु और किसी अन्य ऐसे संवेदनशील डेटा तक पहुंच संभव नहीं होगी जिसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए

(ग) प्राधिकृत इकाई भारत में अनुमोदित स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपयुक्त तकनीकी प्रणालियां उपलब्ध कराएगी, जो भारत के बाहर अनुमोदित स्थान से जुड़ी होंगी ताकि केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भारत के बाहर अनुमोदित स्थान पर उपलब्ध सूचना की मिरर इमेज तक पहुंच और निगरानी सुनिश्चित कर सके।

(घ) प्राधिकृत इकाई भारत में अनुमोदित स्थान पर छह महीने की अवधि के लिए दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित दूरस्थ पहुंच गतिविधियों का पूर्ण लेखा परीक्षण बनाए रखेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को ऐसी जानकारी प्रदान करेगी।

#### भाग घ: कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकरण

#### 58. कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र

(1) इस भाग घ के प्रावधान कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकरण के दायरे में कैप्टिव उपयोग के लिए वायरलाइन और वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क सहित कैप्टिव दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करना शामिल है।

(3) इस प्राधिकरण के सेवा क्षेत्र में ऐसी कैप्टिव दूरसंचार सेवाएं शामिल नहीं होंगी जिनके लिए इन नियमों के तहत अलग से प्राधिकरण प्रदान किया गया है।

#### 59. वित्तीय शर्तें

प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकरण शुल्क नहीं दिया जाएगा।

#### 60. तकनीकी और परिचालन संबंधी शर्तें

कोई भी प्राधिकृत इकाई अपने कैप्टिव दूरसंचार नेटवर्क को पीएसटीएन, पीएलएमएन, जीएमपीसीएस या इंटरनेट सहित सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क से नहीं जोड़ेगी।

#### 61. सुरक्षा शर्तें

केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था करेगी।

#### अनुसूची क: दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण हेतु प्रोसेसिंग शुल्क, प्रवेश शुल्क और प्रारंभिक गारंटी

क्र.सं.	सेवा प्राधिकरण	प्रोसेसिंग शुल्क (रु. में)	प्रवेश शुल्क (रु. में)	प्रारंभिक गारंटी (रु. में)
1	सीएमआरटीएस प्राधिकरण	10,000	शून्य	20,000
2	सीएनपीएन सेवा प्राधिकरण	10,000	शून्य	शून्य
3	कैप्टिव वीसैट सेवा प्राधिकरण	10,000	7.5 लाख	3 लाख
4	कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य

**अनुसूची ख: दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण का प्रारूप**

**दूरसंचार विभाग**

**दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 3 (1) (क)**

1. दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुए मैं, \_\_\_\_\_ (नाम और पदनाम), दूरसंचार विभाग, (पता), दिनांक के आवेदन संख्या \_\_\_\_\_ पर विचार करते हुए, (आवेदक का नाम), (पता) (जिसे इस दस्तावेज में आगे 'प्राधिकृत इकाई' कहा गया है) को (प्राधिकरण का नाम) प्रदान करता हूँ।

2. यह सेवा प्राधिकरण दूरसंचार अधिनियम, 2023 और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, जिसे समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित किया गया हो, या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम; और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

3. इस प्राधिकरण की मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं:

- (क) प्राधिकरण की प्रभावी तिथि: (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)
- (ख) प्राधिकरण की वैधता की अवधि: प्रभावी तिथि से \_\_\_\_ वर्ष, जब तक कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट कारणों से पहले रद्द नहीं किया जाता है।
- (ग) प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र: जैसा कि दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के अध्याय 6 के भाग "—" में विनिर्दिष्ट है।
- (घ) प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र: (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)
- (ङ) दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण शुल्क, एजीआर से जुड़े स्पेक्ट्रम प्रभार और अन्य प्रभार का भुगतान प्राधिकृत इकाई द्वारा किया जाएगा।
- (च) यह प्राधिकरण गैर-अनन्य आधार पर प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में समय-समय पर, समान सेवा क्षेत्र में समान या अन्य प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए, समान या भिन्न प्रवेश शर्तों वाली प्राधिकृत इकाइयों की संख्या पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना, अतिरिक्त प्राधिकरण जारी किए जा सकते हैं।
- (छ) यह प्राधिकरण स्पेक्ट्रम के आवंटन का कोई अधिकार नहीं देता है। प्राधिकृत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार, केंद्रीय सरकार से एक अलग विनिर्दिष्ट फ्रीबिंग्सी आवंटन की आवश्यकता होगी।
- (ज) प्राधिकरण की वैधता अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई गलत विवरण या गलत अभ्यावेदन पाए जाने पर प्राधिकरण को रद्द किया जा सकता है या केंद्रीय सरकार द्वारा उचित पाया गया कोई अन्य जुर्माना लगाया जा सकता है।

तारीख:

केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर  
(भारत के राष्ट्रपति की ओर से)

सेवा में,

(इकाई का नाम और पता)

\*\*\*\*\*

[फा. सं. 24-08/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**  
**(Department of Telecommunications)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2025

**G.S.R. 614(E).**—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (1) of section 3 read with clause (a) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public,

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001,

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

**CHAPTER 1: PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement**

- (1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall not override the terms and conditions of actions taken under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), including issuance of licenses, registrations or permissions, by whatever name called, undertaken pursuant to the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), which shall continue in accordance with sub-section (6) of section 3 of the Act.

**2. Definitions**

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
  - (a) “access service” means the telecommunication service provided by an authorised entity to users for conveyance of voice or non-voice messages through wireline or wireless telecommunication network, and the words “wireline access service” and “wireless access service” shall be construed accordingly;
  - (b) “access spectrum” means the spectrum assigned to an authorised entity for conveyance of voice or non-voice messages between user terminal (UT) and base station;
  - (c) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
  - (d) “authorisation fee” means a fee payable by an authorised entity at rates and intervals for the duration of the authorisation as specified in these rules;
  - (e) “authorised agency” means: (i) for interception of messages, the authorised agency as defined under Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024; or (ii) for any other purpose, the agency designated by the Central Government;
  - (f) “base station” means a fixed radio transmitter and receiver station, which provides a link between the user terminal and core telecommunication network;
  - (g) “broadcasting services” means the dissemination of any programme(s) through terrestrial or satellite communication medium or a combination of both, intended to be received by users either directly or indirectly and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
  - (h) “call” means a connection established by means of telecommunication that enables voice communication;

- (i) “captive non-public network” or “CNPN” means a terrestrial wireless telecommunication network established for captive use within a specified geographical area, which cannot be used for providing commercial or public telecommunication services to users;
- (j) “captive telecommunication services” means the telecommunication services listed in sub-rule (2) of rule 4 of these rules;
- (k) “Chief Telecommunication Security Officer” means the Chief Telecommunication Security Officer appointed under rule 6 of the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024;
- (l) “Companies Act” means the Companies Act, 1956 and the Companies Act, 2013, as the case may be;
- (m) “control” includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner:

Provided that a director or officer of an authorised entity shall not be considered to have control over an authorised entity merely by virtue of holding such position;

- (n) “core telecommunication network” means a system or series of systems of telecommunication equipment that is responsible for routing and controlling flow of telecommunication traffic among different parts of the telecommunication network and handles a range of essential functions including connectivity, routing, mobility management, authentication, authorisation, user management, policy management, management of exposure of the telecommunication network and servicing of Application Program Interfaces (APIs).
- (o) “domestic leased circuit” means a leased circuit within the boundaries of the national service area;
- (p) “earth station in motion” or “ESIM” means a Fixed Satellite Service (FSS) user terminal of satellite system, installed on a moving platform like ship, aircraft or land vehicle, while in motion or on pause and connected with satellite, essentially providing access to telecommunication service;
- (q) “effective date” means the date as specified in the authorisation as being the effective date of the authorisation;
- (r) “entry fee” means non-refundable amount of fee to be paid for grant of authorisation to provide telecommunication services in a service area of authorisation;
- (s) “exclusive economic zone” means the area identified under section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone And Other Maritime Zones Act, 1976;
- (t) “force majeure event” means any cause or event, other than the unavailability of funds, which causes non-performance or delay in performance by the authorised entity claiming to be affected by such event, which are:
  - (i) beyond the reasonable control of, and could not have been anticipated or foreseeable by such entity, and not brought about at the instance of such entity, or
  - (ii) which, if anticipated or foreseeable, could not have been avoided by such entity.

Illustrative list of “force majeure events” includes natural phenomena or calamities or any act of God , earthquakes, typhoons, floods, fires, explosions, wars declared or undeclared, hostilities, invasions, blockades, acts of public enemy, sabotage, riots, strikes, insurrection, civil disturbances, Act of State or direction from Statutory Authority, quarantine restriction, strikes and lockouts (as are not limited to the establishments and facilities of the authorised entity).

- (u) “foreign direct investment” or “FDI” means foreign direct investment as defined under paragraph (r) of rule 2 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instrument) Rules, 2019;
- (v) “form” means a form specified by the Central Government from time to time;
- (w) “global mobile personal communications by satellite (GMPCS) system” means any satellite system, which is fixed or mobile, broad-band or narrow-band, global or regional, geo-stationary or non geo-stationery, existing or planned providing telecommunication services directly to end users from a single or constellation of satellites, and the phrase ‘GMPCS network’ and ‘GMPCS service’ shall be construed accordingly;

- (x) “IN-SPACe” means the Indian National Space Promotion and Authorisation Center, which is the autonomous agency within the Department of Space that regulates space sector activities of non-government entities;
- (y) “international private leased circuit (IPLC)” means an international leased circuit connecting a user in India and a user outside India;
- (z) “internet” is a global system that:
- (a) is logically linked together by a globally unique address, based on the Internet Protocol (IP) or its subsequent enhancements or upgradations; and
  - (b) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent enhancements/upgradations, and all other IP compatible protocols;
- (aa) “Internet of Things” or “IoT” means M2M communications over the internet;
- (bb) “leased circuit” means a private dedicated circuit that links two or more locations using physical connections, transmission bandwidth, circuit switched technology, or packet switched technology;
- (cc) “letter of intent” or “LOI” means the letter issued under sub-rule (3) of rule 9 of these rules;
- (dd) “license” means a license, registration, or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 for provision of telecommunication services or telecommunication network and the word “licensee” shall be construed accordingly;
- (ee) “Machine to Machine (M2M) communication” is a type of telecommunication between two or more devices that do not necessarily need any direct human intervention;
- (ff) “main telecommunication services” means the telecommunication services that are identified under and grant of authorisation for which is governed by the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (gg) “merger rules” means the Telecommunications (Regulation of Restructuring or Acquisition of Authorised Entities) Rules, 2025;
- (hh) “migration rules” means the Telecommunications (Migration from License to Authorisation) Rules, 2025;
- (ii) “miscellaneous telecommunication services” means the telecommunication services that are identified under and grant of authorisation for which is governed by the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2025;
- (jj) “portal” means the portal notified by the Central Government under sub-rule (3) of rule 2 of these rules;
- (kk) “prohibited investor” means a person who falls within any of the following categories:
- (i) a person debarred from accessing the capital market by SEBI;
  - (ii) a person as may be determined by the Central Government when it considers it necessary or expedient so to do in the interest of national security;
  - (iii) a person whose authorisation or license, as the case may be, was cancelled on account of default in compliance with the terms and conditions of its authorisation or license,
  - (iv) a person who was in control of the person specified under clause (iii) at the time of the default or of the cancellation; and
  - (v) a person or class of persons as may be identified by the Central Government, from time to time that are prohibited from holding any equity shares in, or controlling, directly or indirectly, an authorised entity or licensee, as the case may be;
- (ll) “public land mobile network” or “PLMN” means a land based public mobile network;
- (mm) “public switched telephone network” or “PSTN” means a fixed public telephone network providing a two-way switched telecommunication service;
- (nn) “satellite system” or “satellite network” means a telecommunication network comprising satellites, system control centers, gateways, together with associated telecommunication networks and terminals

- that enable direct communication channels between satellites and terminals, as well as connections to land networks through feeder links;
- (oo) “service area” means the geographical area for which the authorisation for captive use of telecommunication service is granted, which can be of two types:
    - (a) National Service Area which refers to the territory of India, territorial waters of India, and the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India, in accordance with the Section 55 of the Act; and
    - (b) Telecom circle or metro service area which refers to service areas listed in Schedule B to these rules;
  - (pp) “Subscriber Data Record” or “SDR” means a comprehensive repository of user information maintained by each authorised entity, in the format as may be specified by the Central Government;
  - (qq) “Telecom cyber security” shall have the same meaning as specified in the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024;
  - (rr) “TRAI” means Telecom Regulatory Authority of India constituted under the TRAI Act;
  - (ss) “TRAI Act” means Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
  - (tt) “user terminal (UT)” or “user equipment (UE)” means a type of telecommunication equipment used by a user to avail telecommunication service provided by an authorised entity; and
  - (uu) “VSAT” means Very Small Aperture Terminal.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, or in the rules for main telecommunication service, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in such rules.
  - (3) The Central Government may establish and notify one or more portals for the purpose of implementation of rules under the Act.

### **3. Applicability**

These rules shall apply to any person, intending to provide or providing captive telecommunication services specified in sub-rule (2) of rule 4, within the service area of authorisation.

## **CHAPTER 2: AUTHORISATION FOR CAPTIVE TELECOMMUNICATION SERVICES**

### **4. Categories of authorisations**

- (1) Telecommunication service authorisations are classified into the following four broad categories: (a) main telecommunication services, (b) miscellaneous telecommunication services, (c) captive telecommunication service, and (d) broadcasting services.
- (2) Captive telecommunication services authorisation shall comprise of the following sub-categories:
  - (a) captive mobile radio trunking service (CMRTS) authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part A (CMRTS authorisation) of Chapter 6 of these rules;
  - (b) captive non-public network (CNPN) authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part B (captive non-public network authorisation) of Chapter 6 of these rules;
  - (c) captive VSAT service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part C (captive VSAT service authorisation) of Chapter 6 of these rules; and
  - (d) captive general service authorisation, which shall comprise the telecommunication services as detailed in Part D (captive general service authorisation) of Chapter 6 of these rules.
- (3) The scope of these rules relates to captive telecommunication services and reference to telecommunication services in the provisions set forth below shall mean captive telecommunication services.

### **5. Service area of authorisation**

The service area of authorisation for each category of captive telecommunication service, shall be as follows:

- (a) The service area of authorisation for captive mobile radio trunking service (CMRTS) shall be the specific geographical area within the national service area, as specified in the authorisation;
- (b) The service area of authorisation for captive non-public network (CNPN) shall be the specific geographical area, within the national service area, as specified in the authorisation;
- (c) The service area of authorisation for captive VSAT service shall be the national service area; and
- (d) The service area of authorisation for captive general service shall be the specific geographical area, within the national service area, as specified in the authorisation.

## **6. Duration of Authorisation**

- (1) The initial validity period of an authorisation for captive telecommunication services shall be twenty years from the effective date unless curtailed or revoked earlier for reasons specified in these rules.
- (2) The duration of an authorisation may be renewed as provided under rule 16.

## **7. Eligibility criteria for grant of an authorisation**

- (1) An applicant seeking authorisation under these rules shall be a company incorporated under the Companies Act, or a Ministry or Department of the Central or State Government, the Parliament of India, Legislative Assembly of a State of India, any Court of law, or any agency or autonomous organisation of the Central or State Government.
- (2) The foreign direct investment in any applicant shall be in compliance with the laws and policies of India as applicable at the time of making of the application for authorisation under rule 8:

Provided that direct or indirect investors in the applicant shall also be in compliance with the laws and policies of India as applicable.

- (3) The applicant shall not have any direct or indirect investment from a prohibited investor or control of a prohibited investor.
- (4) In the event the applicant is an entity that had held a license under the Indian Telegraph Act 1885, and which license had been expired, terminated or surrendered, then such applicant shall have to make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government, as being payable under the earlier expired, terminated or surrendered license, including applicable interest calculated based on the rate stipulated for delayed payment, under the relevant license that had been held by such applicant.
- (5) In the event the applicant is an entity that had been granted any authorisation under the Act and the following circumstances apply:

- (a) it had surrendered such authorisation but has pending dues payable in respect thereof under rule 22;
- (b) it had been subject to revocation under rule 19 and is submitting an application for authorisation under these rules after adjudication thereof, but during such period when it could have submitted an application for authorisation, but has pending dues payable thereof; or
- (c) its authorisation had expired due to efflux of time, and it has pending dues that are payable;

then such applicant shall make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government, to be considered as eligible to apply for an authorisation under these rules.

## **8. Application for obtaining an authorisation**

- (1) Any person intending to establish, operate, maintain or expand telecommunication network for captive use of telecommunication services shall submit an application on the portal, in the form and manner, and accompanied by such documents as specified on the portal for this purpose.
- (2) If the applicant for authorisation under these rules is an existing licensee, it shall, along with its application for authorisation:

- (a) apply for migration of all its existing licenses for all categories of telecommunication services to the corresponding authorisation for telecommunication service, in accordance with the migration rules, and submit proof of such application; or
- (b) submit proof of its application for migration if such application has already been made:

Provided that this sub-rule shall not apply in respect of situations specified under sub-rule (5).

- (3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with a non-refundable processing fee as stipulated in Schedule A to these rules.
- (4) An applicant under these rules may simultaneously apply for one or more authorisations in different service areas.
- (5) An authorised entity shall not be permitted to hold more than one authorisation for a specific telecommunication service in the same service area:

Provided that in the event an authorised entity or a licensee holding an authorisation or license in a service area, as the case may be, makes an application for obtaining an authorisation for a telecommunication service or obtains an authorisation for a telecommunication service in accordance with the merger rules, the scope and service area of which includes in its entirety, the scope and service area for which it already holds an authorisation or license, then such existing authorisation or license shall be deemed to be subsumed into the new authorisation upon its grant or acquisition or restructuring as per the merger rules, and the authorisation or license so subsumed shall be deemed to be cancelled.

Provided further that, the subsumption and cancellation of the prior authorisation or license:

- (a) shall not result in any extinguishment or waiver of any dues, penalties, liabilities or obligations incurred under such earlier authorisation or license, as the case may be, and
- (b) such dues, penalties, liabilities or obligations shall stand transferred to and be deemed to be carried forward under the new authorisation, and remain payable by such entity and recoverable by the Central Government.

## **9. Grant of Authorisation**

- (1) Upon examination of the application submitted under sub-rule (1) of rule 8, the Central Government may seek clarifications or further documents, as may be required.
- (2) The Central Government may, in respect of applications for captive VSAT service authorisation, undertake security vetting through the appropriate authority responsible for satellite network clearance if it so considers necessary, prior to grant of authorisation.
- (3) In the event an applicant is found to be eligible for grant of an authorisation, a letter of intent shall be issued to the applicant through the portal:

Provided that authorisations for captive non-public network (CNPN), and captive general service, shall be granted to eligible applicants without any prior issuance of a letter of intent, in accordance with sub-rule (6).

- (4) An applicant who has been issued a letter of intent pursuant to sub-rule (3), shall comply with the terms and conditions as specified in the letter of intent within the time period specified therein, including, payment of the entry fee as specified for such authorisation in Schedule A, and submission, in the form and manner as specified on the portal, of an initial guarantee of the amount as specified for such authorisation in Schedule A, of any of the following:
  - (a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution,
  - (b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, with a minimum validity period of one year, or
  - (c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government;

and submit evidence of the same on the portal:

Provided that:

- (a) an applicant seeking CMRTS authorisation for services including police, fire, or government security service; or
- (b) any ministry or department of the Central Government seeking captive VSAT authorisation shall be exempt from the requirement of submission of any guarantee under sub-rule (4).
- (5) If the requirements stipulated in the letter of intent are not fulfilled within the time period stipulated in the letter of intent, such letter shall be deemed to have lapsed, and the application for authorisation shall stand rejected: Provided that the Central Government may, based on consideration of a request for extension of time made by an applicant prior to the expiry of the time specified in the letter of intent, in the form and manner as may be specified on the portal, grant a one-time extension not exceeding thirty days from the date specified in the letter of intent.
- (6) Upon compliance with the terms and conditions of the letter of intent by an applicant, or in respect of an authorisation as specified in the proviso to sub-rule (3), a unique authorisation number shall be generated on the portal and an authorisation shall be granted to the applicant in the format specified in Schedule B to these rules.
- (7) Each application for authorisation shall be processed on the basis of the statements, averments, representations and submissions made by the applicant and on the basis of the supporting documents so provided and if at any time, such information is found to be incorrect, the provisions of rule 19 shall apply.
- (8) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application received under rule 8 within a period of sixty days of the applicant providing clarifications or additional documents as may be required under sub-rule (1), or within a period of sixty days of the security vetting under sub-rule (2), as the case may be: Provided that any decision rejecting the application, other than as a consequence of sub-rule (5), shall be accompanied by reasons to be specified in writing.
- (9) Any applicant who has been issued a letter of intent for grant of a license under the Indian Telegraph Act 1885, prior to notification of these rules, shall be considered for grant of corresponding authorisation under the Act, subject to acceptance by the applicant, and in such cases, the processing fee and entry fee, if already paid, shall be adjusted towards the processing fee and entry fee, as specified, for grant of such authorisation: Provided that the applicant shall also be required to pay the difference of entry fee, if required, in respect of grant of authorisation under the Act.

## **10. Non-Exclusive authorisation**

Each authorisation granted pursuant to these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations with same or different terms and conditions for the same or different telecommunication services may be granted by the Central Government within the same or other service areas without any restriction on the number of authorised entities:

Provided that the Central Government may, on its own or through any public entity, provide telecommunication services anywhere in India.

## **CHAPTER 3: GENERAL CONDITIONS**

### **11. Compliance with the Act**

- (1) An authorised entity shall comply with the provisions of the Act and the rules thereunder, including all notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government under the provisions of the Act or rules, which shall be deemed to be incorporated into each authorisation issued under the Act.
- (2) An authorised entity shall also comply with notifications, orders, directions, or guidelines, not inconsistent with these rules, issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules.

### **12. Compliance with the TRAI Act**

An authorised entity shall be bound by the provisions of the TRAI Act, and any non-compliance thereof shall be addressed under the TRAI Act.

### **13. Continuing Compliance with Eligibility Conditions**

- (1) An authorised entity as well as its investors shall continue to comply with all applicable laws and policies of India, including laws relating to foreign investment, at all times during the duration of authorisation.
- (2) An authorised entity shall ensure that no prohibited investor has any direct or indirect investment, or control in such entity, at all times during the duration of authorisation.

### **14. Reporting and Disclosure Obligations**

- (1) An authorised entity shall:
  - (a) report any change in its shareholding, in the form and manner as may be specified on the portal, within fifteen days from the date of such change in shareholding and shall also ensure compliance with any statutory requirements, including obtaining relevant permissions, under applicable laws;
  - (b) report any change in the name under which it has been incorporated under the Companies Act, in the form and manner as may be specified on the portal, along with the certified copy of the certificate issued by the Registrar of Companies for the same, within thirty days from the date of issue of such certificate;
  - (c) submit to the Central Government any change in details relating to ownership, control, address and contact details, or any other such material details, in the form and manner as may be specified on the portal, within fifteen days of such change.
  - (d) furnish to the Central Government, on demand, such documents, accounts, estimates, returns, reports or other information as directed within specified timelines, in the form and manner, as may be specified on the portal.
- (2) An authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the relevant authorised agency, in the form and manner specified for this purpose, the details of a nodal person who shall be responsible for providing any report or information or extending the necessary support, as may be required under these rules.

### **15. Restrictions on transfer of authorisation**

- (1) An authorised entity shall not:
  - (a) assign or transfer its authorisation, whether directly or indirectly, or in any manner whatsoever, without the prior written approval of the Central Government;
  - (b) enter into any partnership or agreement for sub-leasing or sub-authorisation; and
  - (c) create any interest in favour of a third party in such authorisation.
- (2) An authorisation may be assigned or transferred only pursuant to any restructuring or acquisition of an authorised entity in accordance with the merger rules.

### **16. Renewal of Authorisation**

- (1) An authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in the form and manner as specified on the portal for this purpose, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, along with processing fee for such renewal as specified in Schedule A of these rules:

Provided that an application for renewal may be submitted up to four months prior to the expiry of the authorisation, subject to payment of late fees as may be specified by the Central Government for this purpose.

- (2) The Central Government shall, on receipt of an application under sub-rule (1), consider renewal of duration of authorisation by a term of twenty years, subject to such terms and conditions as may be specified by the Central Government, as well as compliance with law and policy applicable at the time of such renewal:

Provided that any decision rejecting the application shall be accompanied by reasons to be specified in writing.

- (3) Where an application has been rejected in terms of sub-rule (2), or no application for renewal of authorisation is received within the timelines specified under sub-rule (1), then such authorisation shall expire at the end of the validity period of an existing authorisation.

#### **17. Assignment and Use of Spectrum**

- (1) The grant of an authorisation under the Act does not confer any right to assignment and use of spectrum.
- (2) An authorised entity may apply for assignment of the spectrum under the rules prescribed under sub-section (3) of section 4 of the Act.
- (3) Where an authorised entity holds spectrum, or applies for assignment of spectrum under the relevant rules, the terms and conditions of such assignment shall be deemed to be incorporated into the terms and conditions of the authorisation, and an authorised entity shall use the spectrum for captive telecommunication services in conformity with the terms and conditions of assignment, as well as the terms and conditions of authorisation.

#### **18. Force Majeure event**

- (1) If the performance of any obligation under an authorisation by an authorised entity is prevented or delayed, in whole or in part, by reason of a force majeure event, and such entity has complied with its notification obligations under sub-rule (2), the Central Government shall, neither revoke the authorisation, nor claim any damages against such authorised entity, in respect of such non-performance or delay in performance for the duration of such event.
- (2) An authorised entity shall notify to the Central Government, in the form and manner as may be specified for this purpose, the occurrence of a force majeure event within twenty-one days from the date of occurrence of such event.
- (3) An authorised entity shall not be entitled for extension of the duration of the authorisation, or to claim any compensation for the force majeure event, or any damages against the Central Government for non-performance or delay in performance of the Central Government's obligations by reason of the force majeure event.

#### **19. Default by an authorised entity**

- (1) The adjudication and appeal of any contravention or breach of the terms and conditions of authorisation shall be governed by the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.
- (2) Any order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the thirty-first day from the date of such order.
- (3) An authorised entity whose authorisation is revoked as well as its promoters shall not be eligible to apply for authorisation for any of the telecommunication services or telecommunication network under the Act for a period, as may be determined by the Central Government, which shall not exceed three years.

#### **20. Set Off**

- (1) Any sum of money or claim payable by an authorised entity to the Central Government, under the terms of authorisation or assignment, may be deducted or adjusted by the Central Government against any amount or sum of money then due, or which may become due to an authorised entity under the authorisation or assignment at any time thereafter, including any guarantee, which can be converted into money.
- (2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform an authorised entity of such set-off.

#### **21. Recovery of dues**

Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by an authorised entity under these rules, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.

## **22. Surrender of authorisation**

- (1) An authorised entity seeking to surrender an authorisation granted under these rules, shall submit an application, in the form and manner as specified on the portal, at least thirty days prior to the proposed date of surrender, along with an undertaking, and other information as specified by the Central Government on the portal.
- (2) The Central Government shall either accept or reject an application under sub-rule (1), within thirty days of receipt of such application, and if accepted, the effective date of surrender shall be the thirty-first day from the date of receipt of such application by the Central Government.

Provided that, any decision rejecting the application, shall be accompanied by reasons to be specified in writing.

- (3) If an application under sub-rule (1) is neither accepted nor rejected within thirty days of receipt of the application by the Central Government, such application shall be deemed to be accepted.
- (4) The details relating to surrender of an authorisation by an authorised entity shall be made available on the portal by the Central Government.
- (5) An authorised entity surrendering its authorisation under this rule, shall be responsible for the payment of all dues payable till the effective date of surrender as determined by the Central Government, including in respect of authorisation fees.

## **23. Suspension or Revocation on grounds of National Security or Public interest**

- (1) Notwithstanding any other provision of these rules, the Central Government may suspend or revoke the operation of the authorisation, without any notice period, in whole or in part, at any time, if, in the opinion of the Central Government, it is necessary or expedient to do so in public interest, or in the interest of national security, or for the proper conduct of the telecommunication, or in the event of national emergency, or in the event of war or low intensity conflict or other similar situations:

Provided that the Central Government shall not be responsible for any damage or loss caused or arising out of such actions.

- (2) An authorised entity shall comply with any measures as specified by the Central Government under such directions for suspension or revocation.

## **24. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation**

- (1) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation held by an authorised entity, the spectrum assigned, if any, to such entity shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry.
- (2) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant authorised entity shall manage its radio equipment in the manner as prescribed under the Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2025.

## **CHAPTER 4: TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS**

### **25. Telecommunication Network**

- (1) An authorised entity having an authorisation to provide captive telecommunication service, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network and may also possess radio equipment, conforming to the scope of the authorisation, without requiring any separate authorisation under clause (b) of sub-section (1) of section 3 or under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act respectively:

Provided that in respect of right to assignment and use of spectrum, rule 17 of these rules shall apply.

- (2) An authorised entity shall establish, operate, maintain or expand the telecommunication network for captive use of telecommunication services pursuant to its authorisation in accordance with the Act, and rules thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication network and telecommunication services are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures, including those notified under section 19 of the Act.
- (3) An authorised entity shall furnish all technical details of telecommunication services and telecommunication network including the details of technology, to the Central Government or the relevant authorised agency, in

such manner and at such times as may be required pursuant to any direction issued by the Central Government in this regard.

- (4) An authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of Right of Way (RoW), for establishing telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment, maintenance, operation, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its telecommunication network:

Provided that, an authorised entity may take telecommunication network, telecommunication infrastructure, or telecommunication resources, as the case may be, on mutually agreed terms from other authorised entities holding the relevant authorisations under sub-section (1) of section 3 of the Act;

Provided further that, non-availability of RoW or delays in obtaining RoW permission by an authorised entity, shall not be a cause or ground for non-fulfilment of the roll-out obligations, or non-compliance with any other obligations under these rules.

- (5) An authorised entity shall adhere to the applicable notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government in respect of the following:
- (a) adoption of Renewable Energy Technologies (RETs) for powering the telecommunication network;
  - (b) deployment of energy efficient telecommunication equipment;
  - (c) preferential market access (PMA) for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment; and
  - (d) IPv6 implementation.

## **26. Location of Telecommunication Network Elements**

- (1) Any installation of telecommunication equipment or establishment of telecommunication network, in security sensitive areas as may be specified by the Central Government, shall be undertaken only with the prior written approval of the Central Government obtained by the authorised entity pursuant to an application made in the form and manner as may be specified on the portal.
- (2) The Central Government may specify restrictions on the use of captive telecommunication services in areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of Actual Control of India, or any other areas as may be specified by the Central Government.
- (3) An authorised entity shall ensure that all systems of its telecommunication network are located within its service area of authorisation.
- (4) An authorised entity shall ensure that all data and information associated with its telecommunication network and telecommunication services shall be stored within India.

## **27. Sharing of telecommunication network and infrastructure**

An authorised entity having different authorisations under these rules may share its telecommunication infrastructure, telecommunication equipment, or any other system of its captive telecommunication network for captive use of telecommunication services under such authorisations.

## **28. Commencement of telecommunication services**

An authorised entity shall intimate to the Central Government and TRAI the date of commencement of provision of telecommunication service within fifteen days of such commencement.

## **29. Right to inspect and undertake assessments**

- (1) The Central Government, may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a reasonable notice to an authorised entity in this regard:
  - (a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are established;

- (b) audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules:

Provided that, no notice shall be required to be provided to an authorised entity if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest;

Provided further that the Central Government, may appoint an external agency to audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules.

- (2) An authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as required under sub-rule (1).

## **CHAPTER 5: SECURITY CONDITIONS**

### **30. Management of an authorised entity**

- (1) An authorised entity shall ensure the following:
- (a) Majority of directors on the board of such authorised entity shall be Indian citizens;
  - (b) The chief officer in charge of telecommunication network and system administrators shall be resident Indian citizens;
  - (c) The Chief Telecommunication Security Officer shall, consistent with the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, shall be a resident Indian citizen.
- (2) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs prior to the appointment of any foreign nationals to the positions of the Chairman, Managing Director, Chief Executive Officer (CEO) or Chief Financial Officer (CFO), and such security vetting shall be continued on an annual basis for the duration of such appointment.
- (3) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs of the foreign nationals prior to the deployment of such persons for the establishment operation, maintenance or expansion of its telecommunication network.
- (4) An authorised entity shall apply in the form and manner as specified on the portal, for the security vetting provided in sub-rule (2) and sub-rule (3), and the decision of the Ministry of Home Affairs shall be binding on such authorised entity.

### **31. Maintenance of records**

An authorised entity shall maintain and provide all commercial records, Subscriber Data Record (SDR), Call Data Record (CDR) by any name referred, including Call Detail Record, Exchange Detail Record (EDR), IP Detail Record or IP Data Record (IPDR) and any other similar records for all types of telecommunication services, as may be specified by the Central Government.

### **32. Securing information transacted through telecommunication network**

- (1) An authorised entity shall take adequate and timely measures to ensure that the information and messages communicated through the telecommunication network is secure and protected.
- (2) An authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network and that unauthorised interception of messages does not take place.

### **33. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities**

An authorised entity shall ensure that its telecommunication network is used only for providing authorised captive telecommunication services to bona fide users only and is not used for undertaking any activities, or commissioning any action, that is an offence under the Act, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or any other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State.

**34. Trusted Sources and Trusted Products**

- (1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the security requirements related to trusted sources are applicable, and specify the same on its website for this purpose.
- (2) The designated authority shall specify the trusted sources along with the associated trusted products for the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1).
- (3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of trusted sources and trusted products.
- (4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication equipment or associated products can be undertaken.
- (5) An authorised entity shall procure trusted products from trusted sources, as determined by the designated authority under sub-rule (2), and use or connect only such products in its telecommunication network.
- (6) An authorised entity shall, prior to rolling out its telecommunication network, register itself on the website specified by the designated authority for this purpose, provide relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment, as may be required by such authority.
- (7) An authorised entity shall, prior to deployment in the telecommunication network, comply with the conditions for procurement of telecommunication equipment and related products, or categories thereof as specified by the designated authority.
- (8) An authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment and related products, or categories thereof, for its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the following process:
  - (a) If the designated authority has already determined telecommunication equipment and related products as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), the authorised entity shall ensure compliance with the same and submit to the designated authority and the Central Government, in the form and manner as specified for this purpose: (i) the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and (ii) periodic reports of procurement of telecommunication equipment, related products and sources thereof, and the locations of deployment of the same;
  - (b) In the event clause (a) is not applicable, the authorised entity shall submit to the designated authority, the details of the telecommunication equipment and related products and their sources from which it is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3);
  - (c) In the event the designated authority approves the telecommunication equipment and related products and their sources as submitted under clause (b) above, the authorised entity shall proceed to procure and install the same; and
  - (d) An authorised entity shall comply with notifications, orders, directions, or guidelines, including the guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks, as may be issued by the designated authority or the Central Government.
- (9) An authorised entity shall provide any information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network, as and when sought by the Central Government or the designated authority.
- (10) An authorised entity shall submit to the Central Government or the relevant authorised agency compliance reports relating to compliance with this rule on a half-yearly basis, as on 1st January and 1st July of each year, through the portal, in the form and manner as may be specified for this purpose.
- (11) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on authorised entities.
- (12) In respect of a licensee, this rule shall be without prejudice to, and does not override nor negate the obligation under its license relating to procurement of trusted products from trusted sources, which shall continue to apply till such time as the license migrates to an authorisation under the rules under sub-section (6) of section 3 of the Act:

Provided that, such migration to being an authorised entity shall not affect ongoing Annual Maintenance Contracts (AMC) or their updates to telecommunication equipment as may have already been inducted into its telecommunication network prior to 15th June 2021;

Provided further that the licensee shall, on migration of its license to an authorisation, seek permission from the designated authority for upgradation or expansion of telecommunication network deployed prior to 15th June 2021, utilising the telecommunication equipment not specified as a trusted product.

### **35. Prohibition of certain activities**

- (1) A telecommunication network of an authorised entity under these rules shall not be used for transmission of:
  - (a) objectionable or obscene or unauthorised message as per applicable law; or
  - (b) any other content or communication or message infringing copyright and intellectual property right in any form.
- (2) An authorised entity shall take necessary measures to prevent transmission of content or communication or message in violation of sub-rule (1), in its telecommunication network immediately upon receipt of any report, information, order, or direction from the Central Government, or a court order.
- (3) An authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof, shall not become a safety or health hazard and is not in contravention of any law and policy.

### **36. General Security Conditions**

- (1) An authorised entity shall be responsible for security of its telecommunications network and comply with any instructions or directions as may be issued by the Central Government in this regard.
- (2) An authorised entity shall provide facilities as may be required by the Central Government to respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity, and shall comply with notifications, orders, directions, or guidelines, as may be issued by the Central Government in this regard.
- (3) An authorised entity shall ensure capability to suspend captive telecommunication services in areas specified by the Central Government.
- (4) The precise delineation of geographical borders taken by an authorised entity for the purpose of defining service area of authorisation along international borders, if any, shall comply with the borders in maps provided by the Survey of India, and any modification thereof shall be subject to specific prior written approval of the Central Government in this regard.

## **CHAPTER 6: SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF TELECOMMUNICATION SERVICES**

### **37. Applicability of Chapter 6**

- (1) In addition to the rules mentioned in Chapter 1 to Chapter 5, the rules mentioned in different Parts of this Chapter shall also apply to an authorised entity establishing telecommunication network for captive use of captive telecommunication services specified in the scope of the respective Part of this Chapter.
- (2) In the event of any conflict between the provisions of Chapter 1 to Chapter 5 and Chapter 6, the provisions of Chapter 6 shall prevail.

### **Part A: Captive Mobile Radio Trunking Service (CMRTS) Authorisation**

#### **38. Scope of Captive Mobile Radio Trunking Service (CMRTS) Authorisation**

- (1) The provisions of this Part A shall apply to authorised entities holding captive mobile radio trunking service authorisation.
- (2) For the purpose of Part A of Chapter 6:
  - (a) “Captive Mobile Radio Trunking Service” or “CMRTS” means a type of telecommunication service that enables two-way land mobile communication amongst users, using a pair of radio frequencies, allocated temporarily for duration of the call, from a designated spectrum band assigned to the CMRTS system, through a base station.

- (b) “land mobile service” means a type of telecommunication service that enables two-way land mobile communication amongst users, using a pair of radio frequencies, through a base station.
- (3) The scope of captive mobile radio trunking service authorisation comprises of:
  - (a) Captive Mobile Radio Trunking Service (CMRTS), or
  - (b) land mobile service.
- (4) An authorised entity holding a CMRTS authorisation shall use the authorisation for its own captive use within the geo-coordinates of the service area, and not for providing public mobile radio trunking service or any other telecommunication service(s) which require a separate authorisation from the Central Government.

#### **39. Fee and charges**

- (1) An authorised entity shall pay an annual authorisation fee of three hundred rupees per user terminal, subject to a minimum of five thousand rupees per authorisation, from the effective date of authorisation:
 

Provided that from the fourth year of the effective date of the authorisation, and for each subsequent year, the annual authorisation fee shall be subject to a minimum of twenty-five thousand rupees per authorisation.

Provided further that an authorised entity having CMRTS authorisation for services including police, fire, or government security service shall be exempt from the requirement to pay any annual authorisation fee.

Provided also that in case of renewal of the authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of twenty-five thousand rupees per authorisation from the effective date of renewal.

Provided also that in case of migration of existing License to a CMRTS authorisation, the minimum annual authorisation fee per authorisation, from the effective date of migration, shall be

  - (a) five thousand rupees, in the case of license that has been operational for less than three years from the date of grant of licence, up to the period during which the combined operation under the license and authorisation equals three years;
  - (b) twenty-five thousand rupees, in all other cases.

Provided also that for the purpose of above clause, operation under the license for part of a year shall be reckoned as a full year.
- (2) The quantum of authorisation fee as specified in these rules may be varied through amendment of these rules at any time within the duration of the authorisation.

#### **40. Schedule of Payment**

- (1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable in four quarterly instalments during each financial year commencing first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.
- (2) An authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner:
  - (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and
  - (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected number of user terminals in use for that quarter:

Provided that an authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of the next financial year.

- (3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of number of user terminals in use at the end of each month, which shall be added for all the months of quarter and divided by the number of months:
 

Provided that for a period that is less than a month, the number of user terminals for that month shall be calculated on a pro-rata basis by using factor of actual number of days under the authorisation against total number of days in the month.

- (4) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be accompanied, in the form and manner as may be specified on the portal, by: (a) a self-certificate, signed and electronically verified by a representative of the authorised entity, who is authorised by a board resolution and general power of attorney, and (b) a statement of computation of authorisation fee for each authorisation signed and electronically verified by a representative of an authorised entity:

Provided that in the case of a ministry or department of the Central or State Government, the Parliament of India, Legislative Assembly of a State of India, any Court of law, or any agency or autonomous organisation of the Central or State Government, such self-certificate and statement may be signed and electronically verified by an officer duly authorised in accordance with the internal procedure applicable to such offices.

- (5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by an authorised entity beyond the period specified for such payment, the authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent compounded annually:

Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.

- (6) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by an authorised entity, in the manner as may be specified, on the portal.

- (7) An authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each year make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2).

#### **41. Guarantee requirements for authorisation**

- (1) An authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit a guarantee in the form and manner as may be specified on the portal, of any of the following types:

- (a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution;
- (b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India; or
- (c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government:

Provided that an authorised entity having CMRTS authorisation for managing police, fire, or government security service, shall be exempt from the requirement to submit the guarantee under this sub-rule.

- (2) The purpose of the guarantee as specified under sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all the terms and conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee, spectrum charges, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government from time to time, and any other dues payable under the authorisation.

- (3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to periodic annual review by the Central Government and an authorised entity shall maintain a valid guarantee for the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:

Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of each relevant authorisation in Schedule A, and for the subsequent years of authorisation, for an amount determined by the Central Government, based on the higher of: (a) the amount of initial guarantee, and (b) twenty per cent of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure specified for this purpose on the portal, of the following:

- (i) authorisation fee for two quarters, and
- (ii) any other dues that are not otherwise secured.

- (4) An authorised entity shall extend the validity period of such guarantee at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.

- (5) Any failure to maintain a valid guarantee at any time during the duration of the authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the insurance surety bond, or appropriate the security deposit, as the case may be, without any notice to the authorised entity:

Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim, or appropriation of such guarantee.

- (6) When the guarantee has been encashed, claimed, or appropriated, fully or partially, an authorised entity on such occasions shall restore such encashed, claimed, or appropriated guarantee, as the case may be, to the full amount within fifteen days of such encashment, claim, or appropriation.

Provided that the Central Government may, upon receipt of a written request from the authorised entity before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.

- (7) Without prejudice to its rights or any other remedy, including those under the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the Central Government may encash, claim, or appropriate the guarantee in the following cases:

- (a) non-payment of authorisation fee or any other dues payable under the authorisation or assignment;
- (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
- (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment.

- (8) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant guarantee shall be released to an authorised entity only after ensuring clearance of all dues, which an authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realized through encashment, claim, or appropriation of the guarantee without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government, without any further communication to such authorised entity.

## **42. Assessment of Authorisation Fee**

- (1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees and any other charges due to the Central Government under these rules, in accordance with the procedure specified for this purpose.

Explanation: For the purposes of this rule, the term “assessment” shall include reassessment and recomputation.

- (2) Where an authorised entity holds an authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network, or for the same telecommunication service in a different service area, it shall maintain and furnish separate annual accounts for each authorisation and comply with notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government, as well as orders, directions, guidelines, or regulations, as may be issued by the TRAI, for this purpose.
- (3) An authorised entity shall maintain and preserve records relevant to the calculation of authorisation fee for a financial year, in electronic as well as hard copy, for a period of at least six years from the end of relevant financial year.

Provided that, if the authorisation fee or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until the dispute is resolved, even if the period extends beyond the six-year period specified above.

- (4) The Central Government or the TRAI may, at any time, direct an authorised entity to supply information or provide access to the records that such authorised entity maintains in respect of the provision of telecommunication services under the terms of its authorisation, and such authorised entity shall forthwith comply with such direction.
- (5) The records of an authorised entity shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Central Government, with a view to facilitating independent verification of the amounts due to the Central Government, including authorisation fees, and any other charges.
- (6) If an authorised entity fails to submit the required documents under sub-rule (4) of rule 40 within four months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis.

Provided that, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to an authorised entity providing it an opportunity of being heard.

- (7) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (8).
- (8) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of ten lakh rupees or more for such financial year.
- (9) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (7) and sub-rule (8), any stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.
- (10) Notwithstanding anything contained in sub-rule (7) and sub-rule (8), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.
- (11) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee and any other charges paid, issue appropriate directions to authorised entities, in respect of all or any telecommunication services, in relation to accounts and audit of authorised entities, and an authorised entity shall comply with such directions.

#### **43. Technical and operating conditions**

- (1) An authorised entity shall not connect its CMRTS system or land mobile service system with public telecommunication networks including PSTN, PLMN, GMPCS or Internet.
- (2) An authorised entity shall not interconnect its CMRTS system or land mobile service system with the CMRTS system or land mobile service system or captive telecommunication network of any other authorised entity.
- (3) An authorised entity may establish connectivity amongst its CMRTS or land mobile service base stations within the service area of authorisation.
- (4) An authorised entity shall ensure that once a user is assigned a pair of radio frequencies by the CMRTS system for the purpose telecommunication, there shall be no interference with such telecommunication.
- (5) An authorised entity may, after obtaining the prior written approval of the Central Government, pursuant to an application made in the form and manner as specified for this purpose, shift the location of the base station from one location to another within the geographical area for which spectrum has been assigned:

Provided that, the radio coverage resulting from such shifting of location of the base station, shall remain within the geographical area for which spectrum has been assigned.

- (6) An authorised entity may install additional base stations within the geographical area for which spectrum has been assigned, after obtaining the prior written approval of the Central Government, by making an application in the form and manner as specified for this purpose in respect of:
  - (a) additional block(s) of frequencies for the new base station(s); or
  - (b) use of assigned frequencies within such geographical area, at the new base station(s) by way of partial shifting of a few frequency carriers out of the pool of assigned frequencies:

Provided that the radio coverage resulting from the installation of the additional base station, shall remain within the geographical area for which spectrum has been assigned.

- (7) An authorised entity may replace its radio equipment or user terminals, after giving prior intimation to the Central Government, in the form and manner as may be specified on the portal.
- (8) An authorised entity shall ensure that the user terminal is obtained from any source that meets the standards notified under section 19 of the Act by the Central Government and operated in accordance with the terms and conditions of the authorisation, and relevant notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government for this purpose.

#### **44. Roll Out Conditions**

- (1) An authorised entity shall roll out the telecommunication network in the geographical area for which spectrum has been assigned by the Central Government, within twelve months from the date of such assignment.

- (2) The roll out of the telecommunication network under sub-rule (1) shall mean installation and commissioning of the CMRTS system or land mobile service system including commissioning of at least one base station in the geographical for which spectrum has been assigned.
- (3) An authorised entity shall register with the Central Government, in the form and manner as may be specified on the portal, for verification of the commissioning of the CMRTS system or land mobile service system.
- (4) On successful verification under sub-rule (3), the date of registration with the Central Government shall be treated as the date of compliance of the rollout obligations.
- (5) In case of failure upon verification of the roll out of the telecommunication network under sub-rule (3), the authorised entity shall re-register, after necessary corrections, and in such case, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall be treated as the date of compliance of the roll out obligation.
- (6) Any failure to comply with the rollout obligations shall be treated as breach of the terms and conditions of the authorisation and shall be dealt as per the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025:  
Provided that if the rollout obligations are complied with within thirty days of the expiry of the due date for complying with such obligations, the Central Government shall consider the same as fulfilment of rollout obligation, without treating it as breach of terms and conditions of the authorisation.
- (7) In case of failure to comply with the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the spectrum for CMRTS or land mobile service, may be withdrawn in accordance with sub-section (2) of section 7 of the Act.

#### **45. Security conditions**

An authorised entity shall make arrangements for provisioning of monitoring facilities in accordance with the notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified for this purpose by the Central Government or authorised agencies.

### **Part B: Captive Non-Public Network (CNPN) Service Authorisation**

#### **46. Scope of Captive Non-Public Network (CNPN) Authorisation**

- (1) The provisions of this Part B shall apply to authorised entities holding Captive Non-Public Network (CNPN) service authorisation.
- (2) The scope of CNPN service authorisation comprises of the authorisation to establish, operate, maintain or expand CNPN within the area of operation in the national service area, limited to geo coordinates of the logical perimeter of the occupied premise, either owned or leased, by the authorised entity, for captive non-public use;  
Provided that an authorised entity may establish a new CNPN at a different location, within the national service area, after giving prior intimation to the Central Government, in the form and manner as may be specified for this purpose, along with the geo-coordinates of the logical perimeter of such area of operation.
- (3) An authorised entity having more than one area of operation shall require only one CNPN service authorisation.
- (4) An authorised entity holding a CNPN service authorisation shall not use its telecommunication network to provide any commercial or public telecommunication service.

#### **47. Fee and charges**

There shall be no authorisation fee to be paid by the authorised entity in respect of the CNPN service authorisation.

#### **48. Technical and operating conditions**

- (1) An authorised entity shall not connect its CNPN with public telecommunication networks including PSTN, PLMN, GMPCS or Internet.
- (2) An authorised entity may connect its CNPNs established at multiple locations through domestic leased circuits obtained from the relevant authorised entities.
- (3) An authorised entity shall not interconnect its CNPN with a CNPN established by any other authorised entity.

- (4) An authorised entity shall ensure that the wireless signals of each CNPN are restricted indoors or within the area of operation.
- (5) An authorised entity shall ensure that there is no harmful interference to the telecommunication network established by any other authorised entity.

#### **49. Assignment and Use of Spectrum**

- (1) An authorised entity may obtain access spectrum:
  - (a) on lease, from entities authorised to provide access service or unified service, in accordance with the rules prescribed under section 8 of the Act or instructions issued in this regard by the Central Government, or
  - (b) directly from the Central Government under the rules prescribed under sub-section (3) of section 4 of the Act.

Provided that the authorised entity shall, obtain separate access spectrum for each area of operation, only after prior intimation of establishing CNPN for each area of operation as per sub-rule (2) of rule 46.

- (2) An authorised entity that leases spectrum to the authorised entity having CNPN authorisation, shall have the right to undertake periodic inspections of the authorised entity leasing such spectrum, to check possible misuse of the CNPN network or service
- (3) Where an authorised entity detects any misuse of CNPN network or service under sub-rule (2), it shall withdraw its leased spectrum immediately, and shall communicate to the Central Government in writing within twenty-four hours of detection of such misuse.

#### **50. Security conditions**

An authorised entity shall establish monitoring equipment and facilities in accordance with the notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified for this purpose by the Central Government or authorised agencies.

### **Part C: Captive VSAT Service Authorisation**

#### **51. Scope of Captive VSAT Service Authorisation**

- (1) The provisions of this Part C shall apply to authorised entities holding captive VSAT service authorisation.
- (2) The scope of captive VSAT service authorisation comprises of the following:
  - (a) establish, operate, maintain or expand satellite telecommunication network for captive use of telecommunication services using VSAT, including ESIM;
  - (b) establish data connectivity, using the telecommunication network established under clause (a), amongst its own offices or sites.
- (3) An authorised entity holding a captive VSAT service authorisation shall not use its telecommunication network to provide any commercial or public telecommunication service.

#### **52. Fee and Charges**

- (1) An authorised entity holding Captive VSAT service authorisation shall pay an annual authorisation fee of rupees ten thousand per VSAT including ESIM installed from the effective date of such authorisation.
- (2) The quantum of authorisation fee as specified in these rules may be varied through amendment of these rules at any time within the duration of the authorisation.

#### **53. Schedule of Payment**

- (1) The authorisation fee determined as per these rules shall be payable in four quarterly instalments during each financial year commencing first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.

- (2) An authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner:
- the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter;
  - the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected number of VSATs including ESIMs in use for that quarter.

Provided that an authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of next financial year.

- (3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of number of VSATs including ESIMs in use at the end of each month, which shall be added for all the months of the quarter and divided by the number of months:

Provided that for a period that is less than a month, the number of VSATs including ESIMs for that month shall be calculated on a pro-rata basis by using factor of actual number of days under the authorisation against total number of days in the month.

Explanation: For the purpose of this provision:

- VSATs shall include all types of VSATs including receive only, transmit only, receive and transmit both.
  - The authorisation fee shall be based on total number of VSATs including ESIMs irrespective of number of hubs in the network and without levy of any minimum authorisation fee.
  - M2M or IoT devices, used in any architecture including Direct-to-Satellite, shall not be treated as VSAT for the purpose of calculating the authorisation fee.
- (4) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be accompanied, in the form and manner as may be specified on the portal, by: (a) a self-certificate, signed and electronically verified by a representative of an authorised entity, who is authorised by a board resolution and general power of attorney, and (b) a statement of computation of authorisation fee for each authorisation signed and electronically verified by a representative of an authorised entity.
- Provided that in the case of a ministry or department of the Central or State Government, the Parliament of India, Legislative Assembly of a State of India, any Court of law, or any agency or autonomous organisation of the Central or State Government, such self-certificate and statement may be signed and electronically verified by an officer duly authorised in accordance with the internal procedure applicable to such offices.
- (5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by an authorised entity beyond the period specified for such payment, the authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent compounded annually:
- Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.
- (6) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by an authorised entity, in the manner as may be specified, on the portal.
- (7) An authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each year make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2).

#### **54. Guarantee requirements for authorisation**

- (1) An authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit a guarantee in the form and manner as may be specified on the portal, of any of the following types:
- a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution,
  - an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India; or
  - non-interest-bearing security deposit with the Central Government.

Provided that any ministry or department of the Central Government having captive VSAT service authorisation shall be exempt from the requirement of submission of any guarantee.

(2) The purpose of the guarantee as specified under sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all the terms and conditions of the authorisation including but not limited to payment of authorisation fee, spectrum charges, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government from time to time, and any other dues payable under the authorisation.

(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to periodic annual review by the Central Government and an authorised entity shall maintain a valid guarantee for the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:

Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of each relevant authorisation in Schedule A, and for the subsequent years of authorisation, for an amount determined by the Central Government, based on the higher of: (a) the amount of initial guarantee, and (b) twenty per cent of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure specified for this purpose on the portal, of the following:

- (i) authorisation fee for two quarters, and
- (ii) any other dues that are not otherwise secured.

(4) An authorised entity shall extend the validity period of such guarantee at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.

(5) Any failure to maintain a valid guarantee at any time during the duration of the authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the insurance surety bond, or appropriate the security deposit, as the case may be, without any notice to the authorised entity:

Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim, or appropriation of such guarantee.

(6) When the guarantee has been encashed, claimed, or appropriated, fully or partially, an authorised entity on such occasions shall restore such encashed, claimed, or appropriated guarantee, as the case may be, to the full amount within fifteen days of such encashment, claim, or appropriation.

Provided that the Central Government may, upon receipt of a written request from the authorised entity before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.

(7) Without prejudice to its rights or any other remedy, including those under the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the Central Government may encash, claim, or appropriate the guarantee in the following cases:

- (a) non-payment of authorisation fee or any other dues payable under the authorisation or assignment;
- (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
- (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment.

(8) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant guarantee shall be released to an authorised entity only after ensuring clearance of all dues, which an authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realized through encashment, claim, or appropriation of the guarantee without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government, without any further communication to such authorised entity.

## **55. Assessment of authorisation fee**

(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees and any other charges due to the Central Government under these rules, in accordance with the procedure specified for this purpose.

Explanation: For the purposes of this rule, the term “assessment” shall include reassessment and recomputation.

(2) Where an authorised entity holds an authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network, it shall maintain and furnish separate annual accounts for each authorisation and comply with notifications, orders, directions or guidelines, issued by the Central Government, as well as any order, direction, guidelines, or regulation, as may be issued by the TRAI, for this purpose.

(3) An authorised entity shall maintain and preserve records relevant to the calculation of authorisation fee for a financial year, in electronic as well as hard copy, for a period of at least six years from the end of relevant financial year.

Provided that, if the authorisation fee or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until the dispute is resolved, even if the period extends beyond the six-year period specified above.

(4) The Central Government or the TRAI may, at any time, direct an authorised entity to supply information or provide access to the records that such authorised entity maintains in respect of the provision of telecommunication services under the terms of its authorisation, and such authorised entity shall forthwith comply with such direction.

(5) The records of an authorised entity shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Central Government, with a view to facilitating independent verification of the amounts due to the Central Government, including authorisation fees, and any other charges.

(6) If an authorised entity fails to submit the required documents under sub-rule (4) of rule 53 within four months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis.

Provided that, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to an authorised entity providing it an opportunity of being heard.

(7) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (8).

(8) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of ten lakh rupees or more for such financial year.

(9) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (7) and sub-rule (8), any stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.

(10) Notwithstanding anything contained in sub-rule (7) and sub-rule (8), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.

(11) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee and any other charges paid, issue appropriate directions to authorised entities, in respect of all or any telecommunication services, in relation to accounts and audit of authorised entities, and an authorised entity shall comply with such directions.

## **56. Technical and operating conditions**

(1) An authorised entity shall ensure that the VSAT is obtained from any source that meets the standards notified under section 19 of the Act by the Central Government and operated in accordance with the terms and conditions of the authorisation, and relevant instructions, directions, or orders, as may be specified by the Central Government for this purpose.

(2) An authorised entity may either establish its own satellite earth station gateway within India or use the satellite earth station gateway established by other authorised entities that are eligible for sharing such satellite earth station gateways under the terms of their respective authorisations.

(3) An authorised entity shall not connect its captive VSAT telecommunication network with public telecommunication networks including PSTN, PLMN, or GMPCS network.

(4) An authorised entity may, for captive use, connect its satellite earth station gateway with internet:

Provided that the connection between the satellite earth station gateway and internet shall be established through a domestic leased circuit obtained from an authorised entity having authorisation or license to provide domestic leased circuit.

- (5) An authorised entity shall not interconnect its captive VSAT telecommunication network with a captive VSAT telecommunication network established by any other authorised entity.
- (6) An authorised entity may, for captive use, connect its satellite earth station gateway in India with its offices outside India for the purpose of transferring data in accordance with applicable law:
- Provided that such connection between the satellite earth station gateway and offices outside India is established through an international private leased circuit obtained from an authorised entity having authorisation or license to provide international private leased circuit.
- (7) An authorised entity shall, prior to establishing or operating a satellite network, apply to the Central Government, in the form and manner as specified on the portal, and obtain satellite network clearance.
- (8) An authorised entity shall:
- (a) either own the relevant satellite or space segment capacity, or
  - (b) enter into an agreement with a space segment provider, authorised by the Department of Space or IN-SPACe, or any other office so authorised by the Central Government for this purpose, for leasing such satellite or space segment capacity; and
  - (c) ensure that such agreement entered into under clause (b) has a provision obligating the space segment provider to report any incident such as:
    - (i) unauthorised satellite signal that it may detect originating or terminating within India; and
    - (ii) unauthorised access from India of any satellite that may be under its control or operation which is being used to provide telecommunication service outside India;
- to the authorised entity and in-turn, the authorised entity shall report such incidents to the Central Government on immediate basis;
- (9) An authorised entity shall provide the details and information as may be required by the Central Government or authorised agencies, upon receipt of a direction in this regard, including the following:
- (a) details of the satellite system, the earth station gateway for each such satellite system and the associated telecommunication network, along with their location details;
  - (b) satellite or space segment capacity; and
  - (c) where such capacity is leased from a space segment provider, provide a certified true copy of such agreement.
- (10) An authorised entity shall within fifteen days inform the Central Government of any changes that may occur to the agreements specified under clause (b) of sub-rule (8), and submit the revised copy of such agreement.
- (11) An authorised entity may use one or more permitted satellite systems, subject to compliance with the condition that the satellite earth station gateway for each such satellite system and the associated telecommunication network is located in India.
- (12) An authorised entity shall, prior to undertaking any change in the permitted satellite system, including change in frequency band, technology, number of satellites, orbits or any other configuration related to ground and space segments, apply to the Central Government, for its prior written approval, in the form and manner as specified on the portal.
- (13) The Central Government may, on assessment of the application under sub-rule (12), grant its written approval to such authorised entity.
- (14) An authorised entity shall:
- (a) ensure that all traffic on the satellite network originating from or terminating on the user terminals in India, shall pass through the authorised entity's satellite earth station gateway and associated telecommunication network located in India;
  - (b) ensure that no traffic originating from or terminating at a user terminal located in India is routed via satellite earth station gateways located outside India either directly or through inter satellite communication links, including during failure of satellite earth station gateway in India or as part of telecommunication network optimization;

- (c) ensure that the user traffic shall not be mirrored to any satellite system or server located outside India through inter satellite communication links or through any other means;
- (d) provide real time traffic monitoring facility to ensure the compliance of clause (a) to (c) above;
- (e) ensure that no direct communication shall take place between two or more user terminals through one or more satellites, without routing the user traffic through satellite earth station gateway;
- (f) provide details relating to frequency plan to the Central Government, in the form and manner as specified on the portal, and operate the satellite network as per the frequency plan approved by the Central Government;
- (g) provide to the Central Government, in the form and manner as specified on the portal, self-certified details of the antenna parameters along with radiation pattern results, for validation of the same; and
- (h) provide any information of and conduct tests for interference monitoring, and to take necessary steps, as directed by the Central Government, for its mitigation.

## **57. Security conditions**

- (1) The operation, maintenance and control facility for the satellite earth station gateway, user terminals and associated telecommunication network, shall be located in India.
- (2) An authorised entity shall ensure that the permitted satellite systems be used for providing telecommunication services for which it has been authorised and such satellite systems are not used for any unauthorised activities including surveillance and electronic warfare, or in a manner that may jeopardize the sovereignty and security of India.
- (3) An authorised entity shall make arrangements for provisioning of lawful interception systems and lawful interception and monitoring facilities in accordance with the notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified for this purpose by the Central Government or authorised agencies.
- (4) An authorised entity shall ensure that domestic traffic is not hauled or routed through any place outside India:  
Provided that usage of satellites for serving domestic traffic shall not be treated as hauling or routing domestic traffic outside India.
- (5) An authorised entity shall monitor the operations of user terminals of satellite systems within India, in the manner as specified by the Central Government or the relevant authorised agency, and shall upon directions by the Central Government, provide details relating to the identity and location of such user terminals.
- (6) An authorised entity shall ensure that no location spoofing device, whether hardware or software, be incorporated with the user terminals to hide the actual location of the user terminals and put in place a mechanism for identification and reporting of any such device in its telecommunication network.
- (7) An authorised entity shall ensure that the telecommunication services of any user terminal, either in idle mode or in use, are discontinued when such user terminal enters into the restricted areas, as may be specified pursuant to rule 26.
- (8) An authorised entity shall ensure compliance with the directions and timelines issued by the Central Government in respect of provision of Indian navigation satellite system-based positioning system in its user terminals.
- (9) An authorised entity, requiring to provide remote access to its telecommunication network from a location outside India, may seek the permission of the Central Government, in the form and manner specified for this purpose, providing details with regard to:
  - (a) purpose and duration of such remote access and details of the person who shall access its telecommunication network; and
  - (b) details of the specific location of the telecommunication network within India to which remote access is sought from the specific location outside India.
- (10) The Central Government may, pursuant to an application under sub-rule (9), grant written approval subject to the following conditions:
  - (a) the remote access shall be provided only to approved locations within India from approved locations outside India, and shall be limited to the purpose as specified under such approval;

- (b) the remote access to the telecommunication network shall not enable access to lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities, call data records, content of messages, and any other such sensitive data, as may be specified by the Central Government for this purpose.
- (c) the authorised entity shall provide suitable technical systems as specified by the Central Government, at the approved location in India, which is connected with the approved location outside India, to enable the Central Government or the relevant authorised agency, to access and monitor the mirror image of the information available at the approved location outside India, in accordance with the directions issued by the Central Government.
- (d) the authorised entity shall maintain the complete audit trail of the remote access activities pertaining to the telecommunication network for a period of six months at the approved location in India, and provide such information to the Central Government or the relevant authorised agency, in accordance with the notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government.

#### **Part D: Captive General Service Authorisation**

##### **58. Scope of Captive General Service Authorisation**

- (1) The provisions of this Part D shall apply to authorised entities holding captive general service authorisation.
- (2) The scope of captive general service authorisation comprises establishing, operating, maintaining, or expanding captive telecommunication network including wireline and wireless telecommunication networks for captive use.
- (3) The scope of this authorisation shall not include such captive telecommunication services for which a separate authorisation is granted under these rules.

##### **59. Financial Conditions:**

There shall be no authorisation fee to be paid by the authorised entity.

##### **60. Technical and Operating Conditions**

An authorised entity shall not connect its captive telecommunication network with public telecommunication networks including PSTN, PLMN, GMPCS or Internet.

##### **61. Security Conditions**

An authorised entity shall make arrangements for provisioning of monitoring facilities in accordance with the notifications, orders, directions, or guidelines, specified for this purpose by the Central Government or authorised agencies.

#### **SCHEDULE A: PROCESSING FEE, ENTRY FEE, AND INITIAL GUARANTEE FOR AUTHORISATIONS FOR TELECOMMUNICATION SERVICES**

SI.No.	Service Authorisation	Processing Fee (in Rs.)	Entry Fee (in Rs.)	Initial Guarantee (in Rs.)
1	CMRTS Authorisation	10,000	Nil	20,000
2	CNPN Service Authorisation	10,000	Nil	Nil
3	Captive VSAT Service Authorisation	10,000	7.5 lakh	3 lakh
4	Captive General Service Authorisation	Nil	Nil	Nil

**SCHEDULE B: FORMAT OF AUTHORISATION FOR TELECOMMUNICATION SERVICES**

Department of Telecommunications

Section 3 (1) (a) of the Telecommunications Act 2023

1. In exercise of the powers conferred by Section 3(1)(a) of the Telecommunications Act, 2023, I, \_\_\_\_\_(name and Designation), Department of Telecommunications, (address) acting on behalf of the President of India, on considering the Application No Dated grant a(n) (name of the Authorisation) to (name of applicant), (address) (hereinafter in this document referred to as the 'Authorised Entity').
2. This service authorisation shall be governed by the provisions of the Telecommunications Act, 2023 and the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, as modified or replaced from time to time, or any other relevant Act; and the rules made thereunder.
3. The salient terms of this authorisation are given below:
  - (a) Effective Date of the authorisation: (to be specified)
  - (b) Period of Validity of the authorisation: \_\_\_ years from the effective date unless revoked earlier for reasons specified as per the applicable Rules made under the Telecommunication Act 2023.
  - (c) Scope of the authorisation: as specified in Part “\_\_\_” of Chapter 6 of the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2025.
  - (d) Service Area of the authorisation: (to be specified)
  - (e) Authorised entity shall pay to the Central Government authorisation fee and any other charges in accordance with the provisions of the applicable rules made under the Telecommunication Act 2023.
  - (f) This authorisation is being granted on non-exclusive basis. Additional authorisations may be issued, for same or other types of telecommunication services, in the same Service Area from time to time in future without any restriction on number of authorised entities with same or different entry conditions.
  - (g) This authorisation does not confer any right to assignment of spectrum. For use of spectrum to provision authorised telecommunication services, a separate specific frequency assignment shall be required from the Central Government as per the Rules notified under Section 4 of the Telecommunications Act, 2023.
  - (h) Any misstatement or misrepresentation by an authorised entity found at any stage during the period of validity of the authorisation may lead to cancellation of the authorisation or imposition of any other penalty as found appropriate by the Central Government.

Date:

Name &amp; signature of the representative of the Central Government

(On behalf of the President of India)

To,

(Name and Address of the entity)

\*\*\*\*\*

[F. No. 24-08/2025-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.